रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1970 (फाल्गुन 23, 1891)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1970 (PHALGUNA 23, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
(PART III—SECTION 4)

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

सूचना

बम्बई, दिनांक 24 फरवरी 1970

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री ए० बी० मजूमदार ने दिनांक 19 फरवरी, 1970 को कारोबार समाप्त होने की अवधि से अहमदाबाद मंडल के स्थानापन्न सचिव और कोषपाल के पद का पदभार ग्रहण किया।

टी० आर० वरदाचारी,
प्रबन्ध-निदेशक

स्टेट बैंक आफ मैसूर

(स्टेट बैंक आफ इंडिया का सहायक)

मुख्य कार्यालय

सूचनाएं

बंगलौर-9, दिनांक 23 जनवरी 1970

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959, की धारा 25(1)(घ) के अनुसरण में बैंक बोर्ड के निदेशक (1) श्री एस० रामनाथन् और (2) श्री डी० एम० शंकरप्पा, जो उक्त अधिनियम की धारा 26(2) की शर्तों के अनुसार 19 मार्च, 1970 को सेवा निवृत्त हो जाएंगे किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 26(3) के अधीन दुबारा चुनाव के पात्र हैं, के स्थान पर दो व्यक्तियों का बैंक के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चुनाव करने के लिए, स्टेट बैंक आफ मैसूर के हिस्सेदारों की बैठक बृहस्पतिवार 12 मार्च, 1970 को 4-00 बजे सायं (मानक समय) बैंक के मुख्य कार्यालय, रेवेन्यू रोड, बंगलौर-9, पर होगी।

(स्टेट बैंक आफ इंडिया का अनुवर्ती)

स्टेट बैंक आफ मैसूर के शेयरधारियों की दसवीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 5 मार्च, 1970 को सायंकाल 4 बजे (स्टेण्डर्ड टाइम) बैंक के मुख्य कार्यालय एवेन्यू रोड, बंगलौर-9 में होगी जिसमें निदेशक बोर्ड (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और 31 दिसम्बर 1969 तक बैंक के हानि-लाभ के लेखों तथा तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

टी० आर० शिवरामन,
महा-प्रबंधक

संचार विभाग

डाक तार बोर्ड

सूचनाएं

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1970

संख्या 25/12/70-एल० आई०—श्री सरयू चौधरी की क्रमांक 60567-सी० दिनांक 15 नवम्बर, 1954 की 1,000

रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उप-निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

दिनांक 3 मार्च 1970

सं० 25/16/70-एल० आई०—श्री लालजी पाठक की क्रमांक 97556-सी० दिनांक 3 मार्च, 1964 की 3,000 रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उप-निदेशक, डाक जीवन बीमा कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25/15/70-एल० आई०—श्री प्रभाकर गोविन्द दातार की क्रमांक 39432-सी० दिनांक 8 नवम्बर, 1950 की 5,000 रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उप-निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए है। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25/14/70-एल० आई०—श्री सुदनागुन्ता वेंकटेश्वर प्रसाद की क्रमांक ए-1148 दिनांक 5 जून, 1954 की 20,000 रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करे।

दिनांक 4 मार्च 1970

सं० 25/ /70-एल० आई०—श्री अर्जन दास मानोचा की क्रमांक 94886-पी० दिनांक 27 अप्रैल, 1963 की 2,000 रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उप-निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

रा० किशोर,
निदेशक
(डाक जीवन बीमा)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23(5) के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया को, और धारा 18(5) के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को प्रेषित की गई

अगस्त 1969

(30 जून 1969 को)

निदेशक-बोर्ड

श्री एल० के० झा (अध्यक्ष)
श्री ए० बक्सी (उपाध्यक्ष)
श्री बी० एन० अडारकर
श्री जे० जे० अंजारिया
श्री पी० एम० डामरी
श्री एस० एल० किर्लोस्कर
श्री भास्कर मित्तर
श्री व्ही० एन० पुरी
श्री जे० रामदेव राव
प्रो० सी० एन० वकील
श्री एन० ए० पालखीवाला
श्री पी० एल० टंडन
श्री अरविन्द एन० मफतलाल
श्री जी० बसु
श्री सी० पी० एन० सिंह
प्रो० एम० मुजीब
डा० व्ही० षण्मुखसुन्दरम्
श्री कमलजीत सिंह
श्री डी० सी० कोठारी
डा० आई० जी० पटेल

प्रधान अधिकारी

जनरल मैनेजर	श्री पी० के० दासगुप्ता
संयुक्त जनरल मैनेजर	श्री आर० ए० गुलमोहम्मद
विधि सलाहकार	श्री आर० एम० हलाश्यम्
उप-जनरल मैनेजर :	
परिचालन	श्री बी० एन० मलहोत्रा
मूल्यांकन	श्री डी० शर्मा
तकनीकी	श्री एम० जी० मेनन
मैनेजर:	
पुनर्वित्त	श्री ए० एन० विज
परिचालन	श्री एन० के० सील
	श्री बी० के० सरकार
	श्री डी० सी० वाधवा
मूल्यांकन	श्री एम० आर० बी० पुंजा
निर्यात	श्री डी० पी० गुप्ता
आर्थिक और योजना	श्री वाई० एस० केदारे

प्रेषण-पत्र

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
बम्बई,
6 सितम्बर, 1969
15 भाद्र, 1891 (शक)

गवर्नर,
रिज़र्व बैंक आफ इंडिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
बम्बई,

प्रिय महोदय,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23(5) तथा 18(5) के उपबन्धों के अनुसार मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भेज रहा हूं :—

(1) 30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के वार्षिक लेखों की एक-एक प्रति ;

और

(2) 30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास बैंक और विकास सहायता निधि के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट की एक प्रति ।

भवदीय
ए० बक्सी
उपाध्यक्ष

प्रेषण-पत्र

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
बम्बई,
6 सितम्बर, 1969
15 भाद्र, 1891 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
अर्थ विभाग,
नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा 18(5) के उपबन्धों के अनुसार मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेज रहा हूं :—

(1) 30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास सहायता निधि के वार्षिक लेखा की एक प्रति;

और

(2) 30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास सहायता निधि के कामकाज के संबंध में रिपोर्ट की एक प्रति । यह रिपोर्ट विकास बैंक के कामकाज के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट का एक अंश है ।

भवदीय,
ए० बक्सी
उपाध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

(वर्ष 1 जुलाई 1968 से 30 जून 1969 तक)

आर्थिक परिवेश

औद्योगिक उत्पादन में पिछले दो वर्षों की मंदी की अवस्था के बाद कुछ सुधार, निर्यात में वृद्धि, कृषि की प्रगति में शिथिलता और बाद के महीनों में स्फीतिकारी दबाव आलोच्य वर्ष के आर्थिक परिवेश की प्रमुख विशेषताएं रही हैं । औद्योगिक उत्पादन में सन् 1968 के प्रारंभ में जो सुधार होने लगा था, वह 1968-69 में (जुलाई-मार्च) कृषि से होनेवाली अधिक आय, सरकारी विकास परिव्यय और निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में सुधार होने से जोर पकड़ता गया । निर्यात में उपलब्धि-विशेषकर इंजीनियरी माल, लोहा और इस्पात तथा रसायनों जैसी गैर परम्परागत मदों की निर्यात उपलब्धि-उत्साहवर्धक थी । इन सब कारणों सहित आयात में काफी कमी होने के फलस्वरूप विदेशी अदायगी की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । ऐसी आशा है कि कुल कृषि उत्पादन में 1967-68 की कीर्तिमान फसल की अपेक्षा थोड़ी कमी होगी । वाणिज्यिक फसलों में से गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक हुआ है जब कि जूट, तिलहन और कपास का उत्पादन पिछले वर्ष से कम हुआ है और इसके फलस्वरूप इनकी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1968-69 (अप्रैल-मार्च) में वास्तविक राष्ट्रीय आय में 3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 1967-68 में यह वृद्धि 8.9 प्रतिशत और 1966-67 में 1.1 प्रतिशत थी । मुद्रा-साधनों (जनता के पास की चलमुद्रा और कुल बैंक जमा) के प्रसार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई जो उनके वास्तविक उत्पादन की वृद्धि से अधिक थी । थोक मूल्य कुल मिलाकर जनवरी 1969 के अन्त तक स्थायी बने रहे परन्तु इसके बाद उनमें तेजी से वृद्धि हुई जिसके कारण कुल वर्ष की मूल्य वृद्धि लगभग 11 प्रतिशत हो गई । इस मूल्य वृद्धि में आधे से अधिक वृद्धि औद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्य बढ़ने के कारण हुई थी ।

2. जो औद्योगिक उत्पादन जनवरी–जून 1968 के दौरान 1967 की इसी अवधि के उत्पादन से 4.2 प्रतिशत अधिक था उसमें जुलाई 1968 से मार्च 1969 की अवधि में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वर्ष सामान्य सूचकांक (आधार 1960=100) पर लगभग 75 प्रतिशत तक भार डालनेवाले उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । इन उद्योगों में उर्वरक, सीमेंट, अलौह धातुएं, बिजली उत्पादन, लोहा और इस्पात जैसे कुछ मूल उद्योग, मोटर गाड़ियां, मशीनी पुर्जे, और उपसाधन, प्रथम चालक (प्राइम मूव्हर्स), बायलर और वाष्प उत्पादक संयंत्र जैसे पूंजीगत माल के उद्योग, चीनी, कागज़ और कागज से बनी चीजों, बिजली उपकरण, रेडियो रिसीव्हर, मोटर साइकिलों जैसे कई उपभोक्ता माल के उद्योग शामिल हैं । सामान्य सूचकांक पर शेष 25 प्रतिशत भार डालनेवाले अन्य उद्योगों के अन्तर्गत मुख्यतः रेलमार्ग उपस्कर, खनन, मृद्वाही (अर्थमूव्हिंग) और निर्माण-मशीनें, बिजली के तार और विसंवाही (इनसुलेटेड) तार बनानेवाले वे उद्योग आते हैं जिन पर मंदी का प्रभाव पड़ा था । इन उद्योगों के उत्पादन में और भी गिरावट आई हालांकि इस गिरावट की गति अपेक्षाकृत धीमी थी ।

3. औद्योगिक उत्पादन में सुधार होने से निवेश के लिए अच्छा वातावरण तैयार हो गया परन्तु उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र में नूतन निवेश संबंधी गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। पूंजी के जो नये इजरे गैर सरकारी क्षेत्र की निवेश गतिविधियों के प्रधान द्योतक होते हैं, वे इस वर्ष 1967-68 की अपेक्षा बहुत कम थे। इसका कारण साधनों की कमी नहीं थी। जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं तथा जनता के पास निवेश की जानेवाली निधियों के अधिशेषों और साथ ही प्रति-भूतियों का अभाव होने के कारण, शेयरों के मूल्य में अवांछित तेजी आई जो कि सरकार द्वारा शेयरों के वायदा व्यापार पर लगाये गये प्रति-बन्ध के फलस्वरूप वर्ष के अन्त में ही रोकी जा सकी। नये निवेश में शिथिलता का मूल कारण उद्यम संबंधी गतिविधि की कमी ही कही जा सकती है। इस शिथिलता के कुछ कारण इस प्रकार थे : (i) चौथी योजना (1969–74) को अंतिम रूप दिये जाने में देरी होने से नये निवेश के लिए निश्चित मार्गदर्शन का अभाव, (ii) औद्योगिक-अर्थ व्यवस्था के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करनेवाली मंदी की प्रवृत्ति का असर और (iii) देश के कई भागों में औद्योगिक संबंधों की असंतोषजनक हालत।

4. इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने जो राजस्व संबंधी और वित्तीय उपाय किये हैं, उनके अनुसार लाभांश से होने वाली आय पर निजी आयकर की छूट सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है; नये औद्योगिक उद्यमों को कर न चुकाने की रियायत अप्रैल 1971 से आगे के और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ; अधिक विकास छूट का दावा कर सकने के लिए सूती और जूट उद्योगों को अग्रतावाले उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है और पूंजी इजरा पर लगाये गये नियंत्रणों में छूटें दी गई हैं। निर्यात के क्षेत्र में, जूट से बने माल पर लगनेवाले निर्यात शुल्क को घटाने और निर्यात की कुछ मदों के लिए अतिरिक्त नकदी सहायता देने के अलावा सरकार ने ऐसे औद्योगिक कारखानों को पूर्ति के अधिमान्य स्रोतों से आयात करने और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की सुविधाएं दी है जिन्होंने 1968 में अपने उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत निर्यात किया हो। विदेशी सहयोग के आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निपटारा करने की सुविधा के लिए सरकार ने विदेशी निवेश बोर्ड का गठन किया है और उसे कुल निवेश सम्बन्धी और निर्धारित सीमाओं से कम की साधारण पूंजी में विदेशी सहभागिता वाले आवेदनपत्रों को निपटाने की शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने उन उद्योगों की दृष्टांत सूचियां भी जारी की हैं जिनमें विदेशी निवेश और/या विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

5. रिज़र्व बैंक ने अग्रतावाले क्षेत्रों अर्थात् लघु उद्योगों, कृषि और निर्यात के लिए उदारता पूर्वक ऋण देने की अपनी नीति जारी रखी। उसने कृषि और उद्योग के विकास की सहायता के लिए बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपनी अधिशेष निधियों को राज्य विद्युत बोर्डों, औद्योगिक वित्तीय निगमों और भूबन्धक बैंकों जैसी संस्थाओं के बांडों अर्थात् दीर्घकालीन न्यासी प्रतिभूतियों में लगाएं।

भा० औ० वि० बैंक की नीतियां और कार्य

6. भा० औ० वि० बैंक के कार्य मुख्यतः इन सुपरिचित शीर्षों के अन्तर्गत आते रहे हैं—(क) उद्योगों को प्रत्यक्ष रुपया-ऋण देना, (ख) विदेशों की पार्टियों को उद्योगों द्वारा देय आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटी देना, (ग) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी की गई हिस्सा पूंजी और डिबेंचरों की हामीदारी देना और उनमें अभिदान करना, (घ) उद्योगों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना, (ङ) अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये शेयरों और बांडों में अभिदान करना, (च) पूंजीगत और उत्पादक माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए आवधिक आधार पर रुपयों में सहायता देना और (छ) देशी मशीनों के बिलों का पुनर्भोजन करना, परन्तु औद्योगिक और आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए इस वर्ष बैंक की नीति, उसके रवैये और उसकी कार्यविधि में जानबूझकर कुछ परिवर्तन और अभ्यनुकूलन किए गए हैं।

7. जहां तक उद्योगों को प्रत्यक्ष आवधिक ऋण देने और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा डिबेंचरों के जारी किए जाने का संबंध है, अखिल भारतीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के पास निवेश की मांग से अधिक निधियां थीं। इसको देखते हुए भा० औ० वि० बैंक ने आवधिक ऋण देनेवाली शीर्षस्थ संस्था की हैसियत से प्रत्येक ऐसे बड़े उद्यम को अधिक ऋण देने में पिछले वर्षों की अपेक्षा कम उत्सुकता दिखाई जिन्हें संस्थागत वित्तीय सहायता की जरूरत थी। बैंक की जानकारी में आनेवाली प्रत्येक परियोजना पर निगरानी रखी गई और उसके लिए आवश्यक वित्त-व्यवस्था करने में न केवल सक्रिय सहायता ही दी गई अपितु वस्तुतः इसके लिए प्रायः पहल भी की गई है परन्तु जब कभी कोई अन्य संस्था या बैंक किसी परि-योजना में स्वेच्छा से अपना धन लगाने के लिए सामने आया है तब भा० औ० वि० बैंक से उसे प्राथमिकता दी जायगी और वह केवल इसी में संतुष्ट रहा है कि वह स्वयं अंतिम साधन के रूप में ही उधार दे। भा० औ० वि० बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रारंभ में पूरी आवश्यक संस्थागत सहायता मंजूर की थी परन्तु बाद में उसने इसलिए अपनी सहायता कम कर दी कि अन्य वित्तीय संस्थाएं सहायता के अपने निजी प्रस्ताव लेकर आ गई थीं। यद्यपि इस नई पद्धति का भा० औ० वि० बैंक की प्रत्यक्ष ऋण की कुल प्रभावी मंजूरियों और डिबेंचरों की हामीदारियों पर यह प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा कि वे जितनी होनी चाहिए उससे कम हो गई तथापि इससे अन्य आवधिक ऋण देनेवाली संस्थाओं और बैंकों को अपने ऐसे अधिशेषों को लगाने के लिए बेहतर क्षेत्र मिल गया जिनके अधिकांश भाग का उद्गम जनता की बचत से हुआ था।

8. इस वर्ष बड़े और प्रतिष्ठित समूहों द्वारा जो भी परियोज-नाएं लाई गईं और जिन पर भा० औ० वि० बैंक को विचार करना पड़ा, उनमें बैंक ने पहले उनके प्रवर्तकों को यह प्रेरणा दी कि वे पहले उन में जितना अपना धन लगा सकते हैं, उतना लगाएं और दूसरे उनके लिए जितना धन वे जनता से वस्तुतः प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करें ताकि परिस्थिति के अनुसार वे संस्थागत वित्त की अनावश्यक मांग से बच सकें। इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त प्रवर्तकों को अपना अंशदान बढ़ाने और विस्तार या विशाखन करनेवाली सुप्रतिष्ठित कंपनियों से जनता में क्रयाधिकार (राइट) शेयर और/या नये शेयर जारी कर के और अधिक साधारण पूंजी इजरा की व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया गया था और इस में काफ़ी समय लगा। साधारण और ऋण पूंजी के परिमित अनुपात वाली कुछ ऐसी वर्तमान कंपनियों को, जिन्होंने बड़े ऋण चाहे थे, यह सलाह दी गई कि वे ऋण लेने के बदले इस तथ्य की दृष्टि से पूंजी बाजार में

डिबेंचर जारी करें कि जनता के पास निवेश के लिए काफ़ी धन है और शेयर बाजारों को अपनी सूचियों में और अधिक प्रतिभूतियों की जरूरत है। यद्यपि उक्त आधारों पर अपनाये गये प्रत्येक दृष्टिकोण का उद्यमकर्त्ताओं ने तत्परता से स्वागत नहीं किया परन्तु फिर भी इस दिशा में प्रयत्न जारी रखे गए हैं।

9. अन्य वित्तीय संस्थाओं विशेषकर राज्य वित्तीय निगमों (रा० वि० नि०) द्वारा उद्योग को दिए जानेवाले आवधिक ऋणों के पुनर्वित्त के लिए भा० औ० वि० बैंक ने पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय योगदान दिया है। उसने ऐसी संस्थाओं से निकटतर संबंध स्थापित किए हैं और उन्होंने लघु उद्योगों को जो आवधिक ऋण दिए हैं, उनके लिए खास तौर से कम दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया है। वित्तीय सहभागिता के प्रस्ताव और टेक्नालॉजी तथा विपणन संबंधी मामलों पर सलाह जैसे विभिन्न साधनों के द्वारा भा० औ० वि० बैंक ने रा० वि० निगमों को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि वे प्रसिद्ध समूहों द्वारा प्रायोजित अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं की अपेक्षा अनेक छोटे और मझौले दर्जे के उद्यमों में अधिक दिलचस्पी लें क्योंकि उक्त बड़ी परियोजनाओं के प्रति अखिल भारतीय संस्थाएं स्पष्टतः अधिक न्याय कर सकती हैं। मौका पड़ने पर रा० वि० निगमों को इस बात के लिए उत्साहित किया गया कि वे संबंधित राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दें।

10. आवधिक निर्यात को सहायता देने के क्षेत्र में एक और जहां पहले की पुनर्वित्त योजना जारी रही और उसने जोर पकड़ा वहां दूसरी ओर बैंक ने इस वर्ष एक नई योजना चालू की है ताकि पूंजीगत और इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता करने में सहायता दी जा सके। इस नई योजना के अधीन बैंक निर्यातकों को वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से कम ब्याज दर पर आवधिक वित्त प्रदान करता है और जोखिम के लिए वह स्वयं प्रधान सहभागी रहता है। बैंक निर्यातकों की ओर से जारी की जाने वाली गारंटियों में वाणिज्यिक बैंकों का सहभागी रहता है। इस वर्ष आवधिक निर्यातों के लिए वित्त और पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए एक अलग विभाग खोला गया है। निर्यात ऋण और गारंटी निगम सीमित (एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड) और सहभागी बैंकों तथा, जब आवश्यक हो तब भारत सरकार के परामर्श से यह विभाग विदेशी आयातकों को, विशेषकर बड़ी समग्र (टर्न-की) परियोजनाओं के लिए, प्रस्तावित की जानेवाली प्रतियोगी वित्तीय शर्तें तैयार करने में निर्यातकों की सहायता करता है।

11. मशीनी बिलों के पुनर्भाजन की योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया ताकि उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, बिजली प्रतिष्ठानों और सड़क परिवहन निगमों को की गई मशीनों की बिक्री भी शामिल की जा सके। पुनर्भाजन योजना के अन्तर्गत भाजन करनेवाले बैंकरों के सहयोग से उधार की लागत में कमी की गई क्योंकि उक्त बैंकरों ने अपनी भाजन दर में 1 प्रतिशत की कमी कर दी जिसके परिणामस्वरूप मशीनों के खरीदारों को एक प्रतिशत से अधिक का वास्तविक लाभ मिल गया।

12. भा० औ० वि० बैंक की नीति को इस निर्णय से एक और नया आयाम मिला है कि वह सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की ऐसी विस्तार और विशाखन योजनाओं के लिए सहायता दे जो कुछ सामान्य और विशिष्ट कसौटियों के अन्तर्गत उसके लिए योग्य पाई जाएं। यह आशा की जाती है कि जो विशिष्ट चुने हुए उपक्रम अब तक बजट आबंटनों पर निर्भर रहते थे, उनके बैंक की छानबीन और उसके अनुशासन के अधीन आ जाने से वे अपने परिचालन और दक्षता में सुधार कर सकेंगे। यह आशा भी की जाती है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न आकार की परियोजनाओं का प्रवर्तन और उनका पोषण करने के लिए पूर्ण स्वामित्ववाली सीमित कंपनियों के रूप में जो राज्य औद्योगिक विकास निगम (रा० औ० वि० नि०) खोले हैं वे इस निर्णय के फलस्वरूप धीरे-धीरे भा० औ० वि० बैंक के निकटतर सहयोग से कार्य करने लगेंगे।

13. जिन तकनीशन उद्यमकर्ताओं के पास काफी मात्रा में निजी सहायता के साधन नहीं थे उनकी कुछ मझौली परियोजनाओं पर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया गया। इन परियोजनाओं को लाभकारी आकार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय और ध्यान दिया गया। भा० औ० वि० बैंक और उसके साथ कार्य करनेवाली अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इन उद्यमकर्त्ताओं को उनकी परियोजनाओं की कुल लागत का बहुत बड़ा अनुपात दिया है और उन्हें इस खतरे से सुरक्षित बनाया है कि उनकी परियोजनाओं को बड़े-बड़े पूंजीपति न हथिया लें। ऐसी एक परियोजना उर्वरक के क्षेत्र में थी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में।

14. आलोच्य वर्ष में बैंक ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। इन कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी-वर्ग और उनके अपने क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड होंगे और ये कार्यालय काफी मात्रा में स्वायत्तता से कार्य करेंगे और वे अखिल भारतीय महत्व की परियोजनाओं से भिन्न क्षेत्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के लिए अंतिम रूप से सहायता मंजूर करेंगे और उसका वितरण करेंगे। वे राज्य सरकारों और राज्य स्तर की ऐसी वित्तीय और औद्योगिक एजेंसियों और संघों से निकट का संबंध स्थापित करने में काफी सहायक होंगे जिनका वास्ता विकास और बैंकों के कार्यालयों से है। बाद में ये कार्यालय राज्यों की राजधानियों और उनके औद्योगिक केन्द्रों में भा० औ० वि० बैंक के शाखा कार्यालयों की स्थापना में भी सहायक होंगे। विभिन्न स्तरों पर नये तकनीकी और वित्तीय कर्मचारियों की भर्ती का काम चल रहा है और बैंक को आशा है कि 1969 के अन्त तक उसके चार क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएंगे। इस विकेन्द्रीकरण के निर्णय में अंतर्निहित एक प्रधान उद्देश्य यह है कि भा० औ० वि० बैंक हर साल देश के विभिन्न भागों के वास्तविक और संभावी विकास-वाले अधिक स्थलों की खोज कर सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय सहायता दे सके तथा उन्हें टेक्नालॉजी, विपणन, प्रबन्ध और अन्य संबंधित समस्याओं के बारे में सलाह दे सके। भा० औ० वि० बैंक ने हाल ही में, अर्थात् जुलाई 1969 में, यह निर्णय किया है कि अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों की योग्य लघु और छोटी मझौली परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाए। इस निर्णय से विकेन्द्रीकरण की नीति को और

अधिक गंभीर अर्थ और स्वरूप मिल सकेगा । इससे भा० औ० वि० बैंक के लिए यह भी संभव हो गया है कि वह कुछ ऐसे स्वतन्त्र परामर्शदाताओं के व्यवसाय का और अधिक उपयोग कर सकेगा जो टेक्नालॉजी, डिज़ाइन, विपणन और प्रबन्ध के क्षेत्र में अच्छा और विशेष कार्य कर रहे हैं ।

नीति और कार्यविधि संबंधी ऊपर जो कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, उनका इस रिपोर्ट में ब्योरेवार वर्णन बाद में किया गया है ।

समय स्थिति

15. सारणी 1 में भा० औ० वि० बैंक के 1968-69 और 1967-68 के कार्यों का सारांश दिया गया है । आलोच्य वर्ष में 1967-68 के मुकाबले मंजूर की गई कुल सहायता* में 67 प्रतिशत और उसके वितरणों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वितरण के आंकड़ों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि मुख्यत: इन तथ्यों के कारण हुई है कि 1967-68 में मंजूरियों का कुल जोड़ उसके पहले के वर्षों की अपेक्षा बहुत कम था और अर्थ-व्यवस्था में जो मंदी थी वह आलोच्य वर्ष की दूसरी छमाही से ही दूर होनी शुरू हो गई थी ।

16. 1968-69 के दौरान 483 आवेदनपत्रों† पर विभिन्न प्रकार की कुल* मंजूरियों (गारंटियों को छोड़कर) की कुल राशि 67.5 करोड़ रुपये थी जबकि 1967-68 में 200 आवेदन-पत्रों की मंजूरियों की राशि 40.3 करोड़ रुपये थी । मंजूरी की राशि में वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिक ऋणों और निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष ऋण का दिया जाना था । इस प्रकार कुल वितरण 44.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 48.7 करोड़ रुपये हो गया है । इनके अलावा आलोच्य वर्ष में 61 लाख रुपयों की दो गारंटियां मंजूर की गई हैं ।

*प्रभावी मंजूरियां ।

†प्रत्येक प्रकार की सहायता के आवेदनपत्र को अलग आवेदन-पत्र माना जाता है । वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों के अभि-दान के आवेदनपत्रों की संख्या आवेदन करनेवाली संस्थाओं की संख्या है और मशीनी बिलों के पुनर्भाजन के आवेदनपत्रों की संख्या उन निर्माताओं की संख्या है जिन्होंने इस योजना के अधीन दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया है ।

सारणी 1—1968-69 और 1967-68 (जुलाई-जून) के दो वर्षों में भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई सहायता

(रुपये करोड़ों में)

	मंजूर की गई सहायता		वितरित की गई सहायता		जुलाई 1964 में भा० औ० वि० बैंक के स्थापित होने से लेकर अब तक की कुल		जून 1969 के अंत में बकाया हामी-दारियां†	30 जून 1969 को बकाया सहायता
	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण	16.0 (16.0)	17.1 (14.6)	15.3	18.0	109.4 (100.9)	73.9	27.0	71.4
2. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण	6.5 (6.5)	--	--	--	6.5 (6.5)	--	6.5	--
3. औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों, डिबेंचरों आदि की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	2.4 (2.4)	2.1 (1.2)	1.6	1.1	21.3 (18.1)	13.6	3.1	13.6
4. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	15.2 (15.1)	10.1 (9.8)	11.6	10.8	92.9 (85.9)	84.4†	12.7†	61.6†
5. निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त	7.5 (7.5)	0.3 (0.3)	2.5	0.3	10.0 (9.2)	4.0	5.2	2.4
6. बिलों का पुनर्भाजन @	15.5 (15.5)	12.4 (12.4)	13.3	10.6	37.3 (37.3)	32.1	--	26.8
1 से 6 तक का जोड़	63.1 (63.0)	42.1 (38.4)	44.3	40.8	277.5 (258.0)	208.0	54.6	175.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	वित्तीय संस्थाओं के शेयरो और बाडो मे अभिदान*	4 5 (4 5)	1 9 (1.9)	4 5	3 9	19 7 (19 7)	19 7	—	19 7
	1 से 7 तक का जोड	67.6 (67.5)	44 0 (40 3)	48 7	44 7	297 1 (277.7)	227 7	54.6	195 4
8.	ऋणों और आस्थगित अदायगियो के लिए गारटी . .	0 01 (0 01)	—	0.01=	5 4=	35.4 (24 2)	19 0=	17 3×	—
9.	पेशगी अदायगी गारंटी (निर्यात) .	0 6 (0 6)	—	—	—	0.6 (0.6)	—	—	—

टिप्पणी : कोष्ठको के भीतर दिए गए आकडे कुल प्रभावी मजूरियो के द्योतक है अर्थात् वे मजूरियों की कुल राशि में से उनकी बाद की कमी/उनके रद्द किए जाने की राशि को घटाकर दर्शाये गये है ।

+ये आंकडे (1) प्रभावी मंजूरियो मे से (क) ऋणो, पुनर्वित्त और हामीदारी सहायता तथा प्रत्यक्ष अभिदान और (ख) हामीदारी सहायता के लिए जनता द्वारा लिए गए शेयरो और डिबेंचरो को घटाने के बाद शेष प्रभावी मजूरियो और (2) पुनर्भाजन के लिए हाथ में लिए गए बिलो के है ।

†इन आंकडो मे अगस्त 1964 तक उद्योगो के लिए उद्योग पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता शामिल है ।

@इन आकड़ों मे मंजूरियां/बकाया राशिया बिलों के अकित मूल्य से सबंधित है पर वितरित की गई राशियो मे पुनर्भाजन शामिल नही है ।

*इन आकडों मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा० औ० वि० नि०) के खरीदे गये हिस्सो की 417 30 लाख रुपयों की राशि शामिल नही है परन्तु इसमे भारतीय औद्यागिक ऋण और निवेश निगम (भा०औ०ऋ०नि० निगम) को दी गई सहायता शामिल है ।

=ये आंकडे निष्पादित की गई गारटियों से सबंधित है ।

×ये आंकडे निष्पादित की गई गारटियो की बकाया देनदारियो से सबधित है ।

17. अपने जीवन के पहले पाच वर्षों मे भा० औ० वि० बैंक ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से अनेक रूपो में जो वित्तीय सहायता मंजूर† और वितरित की है उसकी कुल राशि क्रमशः 277.7 करोड़ रुपये और 227 7 करोड रुपये है । 102 औद्योगिक संस्थाओं की कुल 734 करोड रुपयो की परियोजना लागत में से उनको ऋण (निर्यात के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर) और हामीदारी के रूप में 119.0 करोड रुपये दिये गये हैं । 119.0 करोड़ रुपयों की इस राशि में से 73 0 करोड़ रुपये नये कारखानों के लिए और 46.0 करोड़ रुपये वर्तमान कारखानो के विस्तार, आधुनिकीकरण और विशाखन के लिए मंजूर किए गये थे । इस वर्ष 310 करोड रुपयो की कुल लागत पूजीवाली 826 परियोजनाओ के औद्योगिक वित्त के लिए 85 9 करोड रुपयों के पुनर्वित्त की व्यवस्था की गई है। पुनर्भाजन योजना के अन्तर्गत कुल 37.3 करोड रुपयो की सहायता दी गई है और इससे 107 मशीन निर्माताओ और 518 मशीनो के उपभोक्ता-खरीदारो को लाभ हुआ है ।

18. विभिन्न प्रकार की जो सहायता दी गई है, उसके बारे मे भा० औ० वि० बैंक के कार्यों की विस्तृत समीक्षा नीचे दी गई है :—

†प्रभावी मंजूरियां

औद्योगिक संस्थानों को दी गई सहायता (इसमें निर्यात के लिए दी गई सहायता शामिल नहीं है)

19. प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत बड़ी परियोजनाओ के आवेदनपत्रो पर विचार करते हुए भा० औ० वि० बैंक ने ऐसी अनेक छोटी और छोटी मझौली परियोजनाओ पर ध्याम दिया जिन पर अन्य वित्तीय संस्थाओ में शीघ्र विचार नही किया गया था । जिन तकनीशनों को औद्योगिक अनुभव नही था उनके द्वारा और/अथवा अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में शुरू की गई ऐसी तीन परियोजनाओ की आर्थिक सहायता के लिए भा० औ० वि० बैंक ने विशेष पहल की जिनको अन्य संस्थाओ से सहज ही सहायता न मिलती । इनमें से एक परियोजना के सिलसिले मे नये उद्यमकर्ता के हामीदारी कमीशन और दलाली के भार को कम करने के लिए उसकी हिस्सा पूजी के प्रत्यक्ष अभिदान, सामान्य बायदा प्रभार में छूट और ऋण की अदायगी के लिए अधिक अधिस्थगनकाल के रूप मे विशेष रियायतें दी गई हैं ।

20 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है भा० औ० वि० बैंक ने बडी और महत्वपूर्ण परियोजनाओ की समस्त वास्तविक आवश्यकताओ के लिए समग्र आधार पर प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करने की अपनी नीति का और अधिक जोर-शोर से पालन किया ताकि उनके प्रवर्तक, अन्य आवधिक वित्त संस्थाओं और बैंकों के साथ उनकी सहायता का अंश और अन्य आनुषंगिक ब्योरे तय करने

से पहले, सहायता के लिए आश्वस्त हो सकें तथा अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। अपनी निधियों के लिए बजट आबंटन के महत्वपूर्ण स्रोतवाली शीर्ष संस्था के रूप में भा० औ० वि० बैंक ने इस बात का प्रयत्न किया कि इस सहायता में सहभागितावाली संस्थाओं का अधिक अंश इस दृष्टि से रहने दिया जाए कि वे समाज की वास्तविक बचत के रूप में उपलब्ध अपने वर्तमान अधिशेष का अधिक भाग इसमें खपा सकें। उसने कई परियोजनाओं के वित्त की अधिकांश व्यवस्था अन्य वित्तीय संस्थाओं पर रहने दी है। भा० औ० वि० बैंक में जिन मामलों पर कार्रवाई हो रही थी, उनमें से कुछ के बारे में यह पता लगा कि कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने आप ही उनकी पूरी वित्त व्यवस्था करना चाहेंगी और उनको ऐसा करने की स्वतन्त्रता दी गई है।

21. इस वर्ष के दौरान मूल उद्योग की किसी बड़ी नवीन परियोजना के लिए सहायता देने का कोई मौका नहीं आया। मंदी के असर के कारण बड़े और उच्चाकांक्षी उद्यमों का श्रीगणेश करने में पिछले दो वर्षों से जो उत्साहीनता बनी हुई थी वह अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। दो बड़ी मिश्र इस्पात की योजनाओं को 1965-66 और 1966-67 में दी गई सहायता की मंजूरियों को इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि उद्यमकर्ता उनकी कार्यान्विति को आगे बढ़ाने में असमर्थ पाए गए। किसी न किसी प्रकार की विदेशी सहभागितावाली कुछ बड़ी उर्वरक परियोजनाओं पर इस वर्ष के अन्त में प्रारम्भिक चर्चा हो रही थी। जिस एक उर्वरक परियोजना को पहले ही सहायता दी गई थी उसमें इस वर्ष के दौरान उत्पादन होने लगा है और ऐसी ही एक अन्य परियोजना ने अपने वर्तमान उत्पादन को काफी बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

22 यहां कुछेक ऐसी समस्याओं का उल्लेख करना उचित होगा जो बड़ी परियोजनाओं का परीक्षण करते समय भा० औ० वि० बैंक के सामने आती हैं। ये समस्याएं मुख्यतः उद्यमकर्ताओं और आवधिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की इन प्रश्नों के प्रति उनके रुख में पाई जानेवाली प्रारम्भिक विसंगतियों के कारण उत्पन्न होती है कि उद्यमकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं में कितना पूंजी-अभिदान करना चाहिए और उन्हें इनके परिचालन से होनेवाले लाभ में से लाभांश के अलावा कितना और लाभ मिलना चाहिए। सामान्यतः भा० औ० वि० बैंक का अग्रतावाली किसी ठोस परियोजना के प्रति यह रुख रहता है कि वह साधनों के अभाव में निर्जीव न हो जाए। इसके साथ ही बैंक यह निश्चित करने के लिए भी उत्सुक है कि बैंक के पास जो साधन है उनका यथावश्यक न्यूनतम सीमा तक उपयोग किया जाए और वे उन साधनों के प्रतिरूप न बनने पाए जो समाज की बचत से जुटाए जा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक की पूंजी लागतवाली बड़ी परियोजनाएं और 10, 20 या 30 करोड़ रुपयों की लागत वाली बहुत बड़ी परियोजनाएं मोटे तौर पर नई परियोजनाओं और विस्तार या विशाखन की परियोजनाओं के दो समूहों के अन्तर्गत आती है। यह देखा गया है कि निजी क्षेत्र की बड़ी या बहुत बड़ी नई परियोजनाएं अनिवार्यतः एक न एक प्रसिद्ध समूह द्वारा प्रायोजित की जाती है। विस्तार या विशाखन की बड़ी या बहुत बड़ी परियोजनाएं एक निश्चित न्यूनतम आकारवाली सिद्ध कंपनियों द्वारा ही प्रायोजित की जा सकती हैं। बड़ी या बहुत बड़ी परियोजनाओं पर कार्रवाई करते समय बहुत-सा समय प्रसिद्ध कंपनियों या विख्यात उद्यमकर्ता समूहों को इस बात के औचित्य का एहसास दिलाने में लग जाता है कि वे उचित स्तर तक जोखिम-पूंजी में अपनी सहभागिता बढ़ाएं, बहुत अधिक ऋण लेने पर और प्रसिद्ध कंपनियों के विस्तार और विशाखन के लिए क्रयाधिकार शेयर जारी करने पर निर्भर न रहें। बहुधा ये समूह यह प्रयत्न करते हैं कि संस्थाओं से, यथासंभव, अधिकतम अभिदान प्राप्त हो जाए और इस प्रकार की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाए जिससे अपने निजी साधनों से समानुपातिक अभिदान किए बिना ही उनकी कंपनी में प्रतिष्ठा और शक्ति बनी रहे। यह प्रतीत होता है कि प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली की समाप्ति के बाद से ऐसी प्रवृत्ति बढ़ गई है। उक्त प्रणाली के कारण उद्यमकर्ता समूह कंपनी के मामलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ थे भले ही उसके साधारण शेयरों में उनके स्वामित्व का स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो और उन्हें कुछ ऐसे लाभ भी मिल सके जो कंपनी के सामान्य हिस्सेदारों को नहीं मिलते थे। यह निश्चित करने के लिए कि प्रबन्ध एजेंसियों के विलुप्त हो जाने के बाद भी उन्हें उक्त लाभ मिलते रहें, वे एकमात्र, बिक्री एजेंसी, प्रबन्ध परामर्श फीस और उद्यमकर्ता समूहों के लिए आंशकालिक निदेशकों के विविध कार्यपालक पद सुरक्षित रखने जैसी अनेक अन्य युक्तियां अपनाए जाने पर जोर दे रहे हैं। यद्यपि भा० औ० वि० बैंक इस बात को मानता है कि उद्यमकारिता के लिए पारितोषिक मिलना चाहिए और कंपनी के हित में जहां आवश्यक हो वहां प्रबन्ध और बिक्री जैसी सेवाओं का पारिश्रमिक मिलना चाहिए तथापि वर्तमान प्रवृत्ति इस बात की द्योतक है कि उद्यमकर्ता समूह कंपनियों पर बहुधा भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंसियों से भी अधिक बोझ डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतएव भा० औ० वि० बैंक को इस व्यवस्था का विरोध करना पड़ा। दुर्भाग्यवश उसका यह अनुभव है कि उद्यमकर्ताओं और प्रसिद्ध कंपनियों को उक्त बातों का एहसास कराने में अनावश्यक अधिक समय लगता है, कागज पर तैयार परियोजना के निष्पादन में देर होती है और यद्यपि अधिकांश मामलों में किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाता है तथापि कुछ परियोजनाएं बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ पातीं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर व्यापारी वर्ग और अन्य संबंधित व्यक्तियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

23. यदि इस क्षेत्र में केवल भा० औ० वि० बैंक ही एकमात्र संस्था होती तो पूर्वगामी पैराग्राफ में वर्णित स्वरूप की समस्याओं को हल करना असंभव हो जाता पर यह तथ्य कि एक ऐसा मंच विद्यमान है जहां आवधिक वित्त प्रदान करनेवाली चारों अखिल भारतीय संस्थाएं इकट्ठी होकर अपनी सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं, उक्त समस्याओं को हल करने में बड़ा लाभदायक रहा है। यह मंच भा० औ० वि० बैंक, भा० औ० वि० निगम, भा० औ० ऋण और निवेश निगम तथा जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों की हर माह होनेवाली ऐसी आंतर-संस्था बैठक है जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तीय, तकनीकी और अन्य पहलुओं तथा नीति संबंधी मामलों पर विचारों का अनौपचारिक आदान-प्रदान किया जाता है। इन बैठकों से बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के आवेदन-पत्रों पर परिहार्य विलंब के बिना ही समन्वित तरीके से कार्रवाई करने और मंजूर की गई सहायता के शीघ्रतर वितरण

की कार्यविधि खोज निकालने में सहायता मिली है । इन बैठकों में काफी नेमी परन्तु अनिवार्य काम-काज भी किया जाता है । इस वर्ष उधार लेनेवालों की सुविधा के लिए कुछ कार्यविधियां विकसित की गई है ताकि सहभागितावाली संस्थाओं द्वारा दी जानेवाली संयुक्त सहायता का शीघ्र ही अनुमोदन किए जाने में आसानी हो सके । इस प्रकार भा० औ० वि० बैंक को अब यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि जिस औद्योगिक संस्था को आवधिक वित्त प्रदान करनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं की ओर से सहायता दी गई है उसकी इन संस्थाओं के खाते डाली जानेवाली परिसंपत्तियों की बिक्री या नीलामी का वह अनुमोदन कर सके । इसी प्रकार भा० औ० वि० बैंक और वित्तीय संस्थाओं (और बैंकों) द्वारा सहायता की गई दो बड़ी-बड़ी उर्वरक परियोजनाओं के मामले में भा० औ० वि० बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सहमत सिद्धांतों और कार्यविधियों के अनुसार कई मामलों में पूर्व-परामर्श करके या उसके बिना ही आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दे । इन आंतर-संस्था बैठकों से चारों आवधिक संस्थाओं को अपनी ब्यौरेवार कार्यविधि संबंधी और अन्य कानूनी आवश्यकताओं को कम कर के उन्हें सामान्य स्तर पर लाने और जहां व्यवहार्य हो वहां चार में से किसी एक संस्था को सहभागियों की ओर से कार्य करने का अधिकार देने की व्यावहारिकता का सतत अन्वेषण करने का अवसर मिलता है ।

24. नीति के जिस एक प्रधान पहलू का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उसका संबंध भा० औ० वि० बैंक के इस निर्णय से है कि सरकारी क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता चयनात्मक ढंग से दी जाए । बैंक अब सरकारी क्षेत्र की ऐसी वर्तमान कंपनियों के विस्तार या विशाखन के लिए मामूली ढंग की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के आवेदन-पत्रों पर गुणावगुण के अनुसार विचार करने के लिए सहमत है जिन्होंने कम-से-कम एक बार लाभांश की घोषणा की हो और जिनके पास नये कार्यक्रमों के एक भाग के लिए पैसा लगाने के हेतु पर्याप्त आंतरिक साधन हों बशर्ते कि उन्होंने संबंधित सरकार से कोई वित्त न लिया हो और वे भा० औ० वि० बैंक का सामान्य नियंत्रण और अनुशासन मानने के लिए तैयार हों । इस बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण पूछ-ताछ की है । यह उल्लेखनीय है कि भा० औ० वि० बैंक की मशीनी बिलों की पुनर्भंजन योजना के अधीन मशीनों के क्रेता और विक्रेता दोनों ही रूपों में उसकी अप्रत्यक्ष सहायता सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है । निर्यात के क्षेत्र में भी निर्यातकों को सीधे वित्त प्रदान करने की योजना और मध्यावधिक निर्यात ऋण की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं को भी प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है ।

25. जब 1964 के प्रारम्भ में भा० औ० वि० बैंक विधेयक पारित किया गया था तब यह बताया गया था कि सकरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की परियोजनाएं उसकी सहायता पाने की हक़दार होंगी । प्रारंभिक वर्षों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं ने भा० औ० वि० बैंक से साग्रह मांग नहीं की । हाल ही में उनमें से कुछ संस्थाओं ने, विशेषकर राज्य सरकारों के स्वामित्व की संस्थाओं ने, भा० औ० वि० बैंक से सहायता पाने की उत्सुकता दिखाई है । यह स्वाभाविक ही है कि प्रारम्भ में सरकारों के बजटों की निधियों से शुरू की गई ये परियोजनाएं समय के साथ-साथ उपकरणों को बदलने, उनको प्राप्त करने, अपने विस्तार और विशाखन जैसे प्रयोजनों की अपनी आवश्यकताओं को आंतरिक स्रोतों से पूरा करते हुए उसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं से आवधिक सहायता लेने का प्रयत्न करें जिस प्रकार वे वाणिज्य बैंकों से कार्यकर पूंजी उधार लेती हैं । परीक्षण, सुरक्षा और निगरानी के जो मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू किए गए हैं, वे गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू किए गए मानदंडों से किसी भी प्रकार कम कठोर नहीं है । भा० औ० वि० बैंक का उद्देश्य पूरे जनसमुदाय के लिए दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादन और उनकी सेवाओं को बढ़ाने में सहायता देना है । इसके अलावा सरकारी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता और वित्तीय सहायता चाहनेवाली परियोजनाओं के आकार स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेंगे कि कितने साधन उपलब्ध है और उनके लिए कुल मिलाकर कितने दावेदार हैं ।

26. 1968-69 के दौरान भा० औ० वि० बैंक को 34 औद्योगिक संस्थाओं से 50 करोड़* रुपयों के ऋण, हामीदारी और गारंटी सहायता के लिए 45 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि सन् 1967-68 में बैंक को 26 औद्योगिक संस्थाओं से 36 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और उनके आवेदनों की राशि उक्त राशि से 12.9 करोड़* रुपये कम थी । आलोच्य वर्ष में बैंक ने 18.4 करोड़ रुपयों की 23 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 29 आवेदनपत्रों पर 17 ऋणों के लिए 16,0 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता मंजूर की है, 2.4 करोड़ रुपयों की 11 हामीदारियों की व्यवस्था की है (इसमें 6.6 लाख रुपयों के स्वामित्व इजरे शामिल हैं) और 1.05 लाख रुपयों की आस्थगित अदायगी की गारंटी दी है । इसके मुकाबले 1967-68 में बैंक ने 15.8 करोड़ रुपयों की 18 परियोजनाओं के 22 आवेदन-पत्रों पर 14.6 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की थी जिसका संबंध 13 ऋण परिचालनों से था और उसमें 1.2 करोड़ रुपयों की 9 हामीदारियों की व्यवस्था की थी । 1967-68 में कोई गारंटी सहायता मंजूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । वर्ष के दौरान जिन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई थी, वे अनुबन्ध I (क) में दी गई है ।

27. अब भा० औ० वि० बैंक द्वारा 1968-69 में दी गई ऋण और हामीदारी की सहायता का कुछ ब्यौरेवार विश्लेषण किया जा सकता है । इस क्षेत्र में बैंक के कार्य तीन स्थूल वर्गों के अन्तर्गत आते हैं : (i) विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन के प्रयोजन के लिए नई परियोजनाओं और वर्तमान कारखानों को सहायता जो उद्योग के लिए सहायता का एक अंग है; (ii) वित्तीय कठिनाइयों (जो रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप परियोजना लागत अधिक बढ़ जाने, क्रियान्विति में देर होने, स्थायी परिसंपत्तियों आदि के अर्जन के लिए अल्पकालिक उधार लेने जैसे विभिन्न कारणों से हुई हों)

*भा० औ० वि० बैंक से 1967-68 और 1968-69 के अलग-अलग वर्षों में जो सहायता मांगी गई है उसके आंकड़ों की ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती । कुछ आवेदन-पत्रों में प्रवर्तकों ने चारों संस्थाओं से मांगी गई कुल संस्थागत सहायता का उल्लेख किया है और भा० औ० वि० बैंक से चाही गई सहायता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया ।

मे फंसी ऐसी औद्योगिक संस्थाओ को सहायता देना जो अन्य स्रोतो से अतिरिक्त आवधिक ऋण की व्यवस्था नहीं कर सकी और (iii) पहले किये गये वायदो के फल-स्वरूप सहायता की गई संस्थाओ के स्वामित्व शेयरो में अभिदान भा० औ० वि० बैंक द्वारा 1968-69 और 1967-68 में उपरोक्त वर्गों के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा सारणी 2 में दर्शाया गया है। सन् 1968-69 में बैंक ने वर्तमान परिस्थितियो में उन औद्योगिक सस्थाओ को राहत देने पर काफी ध्यान दिया जो वास्तविक वित्तीय कठिनाइयो का सामना कर रही थी ताकि जो परियोजनाए पहले ही शुरू हो गई थी उनकी शीघ्र कार्यान्विति के लिए सहायता की जा सके और वर्तमान औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। दो संस्थाओ को भा० औ० वि० बैंक ने इस उद्देश्य से ऋण सहायता दी है कि वे निर्धारित तारीखों को विदेशी वित्तीय संस्थामो को की जानेवाली अदायगी के अपने दायित्वो को पूरा कर सकें।

सारणी 2—1968-69 और 1967-68 में मंजूर की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये, करोड़ों मे)

	परि-योजनाओ की सख्या		मजूर की गई सहायता							
			ऋण		हामीदारी		गारंटी		जोड़	
	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68
1. विस्तार/विशाखन/नवीकरण के लिए दी गई सहायता .	14	15	8 3	13 5	2 1	1 1	0 01	--	10 4	14 6
2. औद्योगिक संस्थाओ को दी गई पूरक सहायता* . .	9	3	7.7	1 1	0 2	0 03	--	--	7 9	1 1
3 सहायता दी गई संस्थाओं के स्वामित्व शेयरों में अभिदान .	--	--	--	--	0 1	0.03	--	--	0.1	0.03
जोड़ . . .	23	18	16.0	14.6	2.4	1.2	0 01	--	18 4	15.8

*अर्थात् (1) रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप परियोजना लागत के अधिक बढ जाने, क्रियान्विति मे देर होने, अनुमानित नगदी साधना में कमी आदि को पूरा करने; और (2) जिन कंपनियो ने स्थायी परिसपत्तियो आदि के अर्जन के लिए चालू पूजी की निधियो का पहले ही उपयोग कर लिया है, उनके नगदी साधनों पर पड़नेवाले दबाव के लिए दी गई सहायता।

28. औद्योगिक ऋण लेने वालों को जिन वित्तीय कठिनाइयो का अनुभव होता है, उनका सकेत इस बात से मिलता है कि ब्याज और मूलधन की आदायगी में कितनी चूके हुई हैं। पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 3 कंपनियो ने ब्याज के 4.1 लाख रुपयो की अदायगी में चूक की है। इन कंपनियो ने चालू वर्ष में भी यही चूक की है। इनके अलावा 3 और कपनियो ने भी 1968-69 में ब्याज की अदायगी में चूक की है। जून 1969 के अन्त में इन कंपनियों द्वारा देय कुल ब्याज की राशि 21.4 लाख रुपये थी। 2 कंपनियों की प्रार्थना पर उनकी अदायगी की निश्चित अवधि में संशोधन किया गया है। छह कंपनियों ने ऋण की वित्त की अदायगियो में चूक की है और वर्ष के अंत में अदायगी के आस्थगन के लिए उनकी प्रार्थनाएं विचाराधीन थी।

29. यहां भा० औ० वि० बैंक द्वारा क्रमश: उन शेयरो को बेचने की इस वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू की गई नीति भी उल्लेखनीय है जो उसने हामीदारी के अपने वायदो को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों में लिए थे और जिनका मूल्य अब सममूल्य से काफी अधिक हो गया है। शेयर इस उद्देश्य से बेचे जा रहे थे कि शेयर बाजार में अच्छे ऋण-पत्रों का तत्कालीन अभाव दूर किया जा सके और जनता के बीच शेयरो का अधिक व्यापक प्रसार हो सके। इसके पीछे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किन्हीं विशिष्ट शेयरो को थोड़े समय के भीतर ही काफी बड़ी मात्रा में बेचा जाए अथवा उन्हें किसी ऐसी कपनी को बेचा जाए जो अभी उत्पादन नही कर रही है अथवा जो शीघ्र ही उत्पादन नही करेगी। शेयरो की सारी बिक्री तत्कालीन चालू भाव पर मान्य दलालो के जरिए छोटे भागो में खरीद के प्रस्तावो पर की गई थी।

सहायता दी गई कंपनियों का अनुवर्ती निरीक्षण

30. आलोच्य वर्ष में भा० औ० वि० बैंक द्वारा सहायता दी गई कंपनियो से निर्धारित फार्म में नियतकालिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती रहीं। यह निश्चित करने के लिए कि कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है, सहायता की गई 31 औद्योगिक सस्थाओ के निरीक्षण और मुआइने किये गये। बम्बई स्थित एक कार्यालय से देश के विभिन्न भागो में सहायता दी गई परियोजनाओ के लिए संपर्क बनाए रखने का काम कठिन हो गया है। अतिरिक्त तकनीकी और वित्तीय कर्मचारियो की भर्ती और चार क्षेत्रीय कार्यालयो के खुलने से इस स्थिति में काफ़ी सुधार होने की आशा है।

निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां

31. सितम्बर 1964 से भा० औ० वि० बैंक निर्यातको को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये मध्य आवधिक निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के लिए एक योजना चला रहा है। (यह योजना तत्कालीन उद्योग पुनर्वित्त निगम लि० द्वारा जनवरी, 1963 में शुरू की गई थी।) इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्षों तक की अवधि के लिए उधार लेनेवाले बैंको को पूरा जोखिम स्वयं उठाना पड़ता है। यद्यपि यह योजना अब तक उपयोगी बनी हुई है तथापि भा० औ० वि० बैंक ने यह महसूस किया कि चूंकि पूंजीगत और उत्पादक माल के निर्यात की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया जा रहा है और इच्छुक निर्माताओ/निर्यातकों को आवधिक आधार पर ऋण की बड़ी राशि की जरूरत है, उसे इस क्षेत्र में अपनी हामीदारी बढ़ानी और व्यापक बनानी होगी अन्यथा वाणिज्यिक बैंक अपने आप बड़े जोखिम नही उठायेगे या उन्हें उठाने के लिए तैयार नही होंगे तथा वे भा० औ० वि० बैंक की पुनर्वित्त सहायता से भी निर्यातको के लिए आवश्यक पूरा आवधिक वित्त और गारंटी सुविधाएं प्रदान नही कर पाएंगे। अतएव बैंक ने वर्तमान पुनर्वित्त योजना के साथ ही चालू रहनेवाली एक नई योजना चालू की है जो 6 दिसंबर 1968 से प्रभावी है। इस नई योजना के अन्तर्गत बैंक पूंजीगत और इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की औद्योगिक संस्थाओं को आवधिक वित्त और गारंटी सुविधाएं प्रदान करने के हेतु योग्य वाणिज्यिक कंपनियों के साथ सहभागिता व्यवस्था में भाग ले रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर की अवस्थाओं के दौरान 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए निर्यात ऋण और निर्यातको की ओर से निष्पादन तथा वित्तीय गारंटियां देने की व्यवस्था है। भा० औ० वि० बैंक अपने निर्यात ऋण के अंश पर 4½ प्रतिशत ब्याज लेता है और सहभागी बैंक अपने अंश पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की अनधिक ब्याज दर से ब्याज लेते है। इससे भा० औ० वि० बैंक की सहभागिता की उस सीमा तक अपेक्षाकृत लचीली और ऐसी कम दर पर निर्यातकों को ऋण मिलना निश्चित हो गया है जो संबंधित बैंक के परामर्श से प्रत्येक मामले के गुणावगुण और आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है।

32. इस योजना के अन्तर्गत जून 1969 के अन्त तक भा० औ० वि० बैंक को विभिन्न प्रकार के पूंजीगत और इंजीनियरी माल और सेवाओं के निर्यात के लिए 14.7 करोड़ रुपयों की ऋण सुविधाओं के हेतु 7 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमे से 10.8 करोड़ रुपयों के 2 आवेदन-पत्र, 2 वाणिज्यिक बैंकों की सहभागिता में मंजूर किए गए हैं और इसमें भा० औ० वि० बैंक का हिस्सा 6.5 करोड़ रुपये है। इनके अन्तर्गत ईरान को निर्यात किए गए पारेषण लाइन टावर, तांबे के और ए० सी० एस० आर० संवाहक और रेलमार्ग की सामग्री शामिल है। भा० औ०वि० बैंक एक वाणिज्य बैंक की सहभागिता में 1.2 करोड़ रुपये की पेशगी अदायगी की गारंटी सुविधा देने के लिए तैयार हो गया है जिसमें भा० औ० वि० बैंक का हिस्सा 60.1 लाख रुपये है। [देखिए अनुबन्ध I(ख)] भा० औ० वि० बैंक ने 12 निर्यात प्रस्तावों के लिए सिद्धांततः सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इनके टेंडरों का कुल अनुमानित मूल्य 70 करोड रुपये है। 3.9 करोड़ रुपयो के शेष पाच आवेदन-पत्र संयुक्त अरब गणराज्य को किए जानेवाले निर्यातों से संबंधित है और जून 1969 के अन्त में उन पर कार्रवाई की जा रही थी हालांकि 7 महीनों से भी कम इस अवधि में वित्त-पोषित और विचाराधीन कारोबार की मात्रा कम नही है फिर भी बैंक यह आशा करता है कि भविष्य में इसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी।

33. औद्योगिक निर्यातको की पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त के रूप में आवधिक वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आलोच्य वर्ष में एक अलग विभाग खोला गया है। इस विभाग के अधिकारी देश के विभिन्न भागों में माल के वास्तविक और संभावित निर्यातकों, बैंकों, केन्द्रीय सरकार और निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम (एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन) से संपर्क बनाये रखते हैं। बैंक के तीन अधिकारी जापान द्वारा किए जानेवाले निर्यातों के वित्तपोषण का अध्ययन कर चुके हैं और एक अधिकारी मुख्यतः इसी प्रयोजन के लिए जर्मनी के संघीय गणतन्त्र को गए हुए हैं।

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता

34. भा० औ० वि० बैंक द्वारा बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी जानेवाली सहायता के अन्तर्गत ये मदे आती है—(i) योग्य संस्थाओ द्वारा दिये गये औद्योगिक ऋणो और निर्यात ऋणो के लिए उन्हे दिया गया पुनर्वित्त, (ii) ऐसे बिलो/वचनपत्रो का पुनर्भांजन जो देशी मशीनो की आस्थगित अदायगी के आधार पर की गई बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त हुए हो और जिनका भाजन बैंको द्वारा किया गया हो और (iii) आवधिक उधार देनेवाली योग्य सस्थाओं (राज्य वित्तीय निगमो, भा० और वि० निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम) के शेयरो और बाडों मे अभिदान करना ताकि वे अपने कार्य-कलापो को बढ़ा सके।

पुनर्वित्त

35. नीचे पुनर्वित की दो योजनाओ अर्थात् (क) औद्योगिक ऋणो के पुनर्वित्त की योजना और (ख) निर्यात ऋण के पुनर्वित्त की योजना की समीक्षा की गई है।

(i) औद्योगिक ऋणों को पुनर्वित्त की योजना

36. पिछले वर्ष की रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया था कि कि 1967-68 मे उद्योग के हेतु निधियो का क्षेत्र व्यापक करने और पुनर्वित्त सुविधाओ की लागत कम करने के लिए कई उपाय किए गए है ताकि उद्योग मे निधियो के निवेश को बढ़ाया जा सके। ये उपाय इस प्रकार है: (i) सामान्य और रियायती ब्याज की दरो को ½ प्रतिशत कम कर के क्रमशः 6 प्रतिशत और 5½ प्रतिशत कर दिया गया है और ये रियायती ब्याज की दरें उन मामलों में लागू है जिन में प्रत्यक्ष ऋण देनेवाली संस्थाएं 8½ प्रतिशत से अधिक ब्याज दर नहीं लगाती, (ii) सरकार की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत लघु उद्योगो को दिए जानेवाले ऋणो के पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा एक लाख रुपये से घटाकर 20,000 रुपये कर दी गई है और अन्य ऋणो के मामले मे यह सीमा 5 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है तथा (iii) सरकार की ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आनेवाले छोटे पैमाने के कारखानों को दिए गए ऋणो

के पुनर्वित्त के लिए ½ प्रतिशत की विशेष रियायती दर लागू की गई है और इसके लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गई है। बैंकों और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को इस ओर प्रेरित करने के लिए कि वे सड़क परिवहन के छोटे परिचालकों को सहायता दें भा० औ० वि० बैंक ने इस वर्ष योग्य वित्तीय एजेंसियों द्वारा इस क्षेत्र को दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना शुरू किया है। यह पुनर्वित्त ऋण गारंटी की जमानत के बिना प्रदान किया जाता है और इसके लिए, छोटे पैमाने के कारखानों को छोड़कर, औद्योगिक संस्थाओं पर लागू ब्याज की दरों अर्थात् 6 प्रतिशत या 5½ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है।

37 इस योजना के अंतर्गत 1968-69 में बैंक द्वारा किया गया कारोबार संक्षेप में सारणी 3 में दिया गया है। आवेदन-पत्र आने और पुनर्वित्त सहायता मंजूर किए जाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1967-68 में औद्योगिक ऋणों के 114 आवेदन-पत्रों पर पुनर्वित्त के लिए 9 8 करोड़ रुपये मंजूर किए गए जबकि इस वर्ष इसी तरह के 335 आवेदन-पत्रों पर मंजूर की गई पुनर्वित्त की राशि बढ़कर 15 1 करोड़ रुपये हो गई है और जिन ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया गया है, उनका औसत आकार 8 6 लाख रुपये से बढ़कर 4 5 लाख रुपये हो गया है। इस वर्ष वितरित किए गए पुनर्वित्त की रकम 11 6 करोड़ रुपये है जो 1967-68 के 10 8 करोड़ रुपयों से अधिक है।

सारणी 3—औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था

(रुपये, करोड़ों में)

	1968-69 (जुलाई-जून)		1967-68 (जुलाई-जून)		1958 में भारतीय पुनर्वित्त निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1969 तक	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1. प्राप्त आवेदन-पत्र	426	21 5	168	15 1	1781	224.4
2. स्वीकृत आवेदन-पत्र*	336	15.2	117	10.1	1302	152.0
3 (अवधि के अंत में) विचाराधीन आवेदन-पत्र	156	12 0	94	8 2	156	12.0
4. कुल प्रभावी मंजूरियां	335	15.1	114	9 8	1218	136.6
5. पुनर्वित्त की वितरित राशि		11.6		10.8		123.9
6. पुनर्वित्त की अदायगी		14 4		19 2		62.3
7. अस्वीकृत/वापस लिये गये/लौटाये गये आवेदन-पत्र	28	2 5	59	10.3	323	56.2
8. (अवधि के अंत में) बकाया राशि		61 6		64 4		61.6
9. (अवधि के अंत में) स्वीकृत की गई अवितरित राशि		12.7		9.8		12.7

नोट: इस सारणी में दिये गये आकड़े केवल औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त से सम्बन्धित हैं और उनमें निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त सम्बन्धी आकड़े शामिल नहीं हैं।

* ये आकड़े कुल स्वीकृत आवेदन-पत्रों के हैं।

38 सारणी 4 में औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त का संस्थावार विभाजन दिया गया है। लघु उद्योगों को दी गई आवधिक सहायता के लिए वाणिज्यिक बैंकों ने भा० औ० वि० बैंक से अधिक पुनर्वित्त नहीं लिया है परन्तु जो रा० वि० निगम क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को राज्य स्तर पर संवर्धन करने में लगे हुए हैं, उन्होंने इस प्रयोजन के लिए भा० औ० वि० बैंक से अधिकांशतः पुनर्वित्त लिया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस बारे में उचित प्रोत्साहन देने के लिए भा० औ० वि० बैंक ने मार्च 1968 में केन्द्रीय सरकार की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आनेवाले छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों को दिये गये ऋणों के पुनर्वित्त के लिए ½ प्रतिशत की विशेष रियायती दर लागू की है बशर्ते कि उधार देनेवाली प्राथमिक संस्था द्वारा ली जानेवाली प्रभावी दर 8 प्रतिशत से अधिक न हो। इस कार्रवाई के दो उद्देश्य थे, पहला तो यह निश्चित करना था कि रा० वि० निगम के उधार लेने और देने की औसत दरों के बीच काफी अंतर बना रहे और दूसरा यह निश्चित करना था कि लघु उद्योग क्षेत्र को उचित लागत पर ऋण मिल सकें। इसके फलस्वरूप सभी राज्य वित्तीय निगमों ने लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अपने सारे ऋणों पर उधार दिये जाने की ब्याज दर घटाकर 8 प्रतिशत कर दी है और तीन अन्य निगमों ने निर्धारित सीमा के भीतर के ऋणों पर इसी दर से ब्याज लिया है। इसी प्रकार उधार दी गई रकमों पर दो रा० वि० निगमों ने 7 प्रतिशत और तीन निगमों ने 5½ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया है। अक्तूबर 1968 में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक द्वारा ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत लिए जानेवाले कमीशन को ¼ प्रतिशत वार्षिक से घटा कर 1/10 प्रतिशत वार्षिक किए जाने के कारण उक्त नीति को और बल मिला। कमीशन में यह कमी इस शर्त पर की जा सकेगी कि उधार देनेवाली योग्य वित्तीय संस्थाओं के उक्त तारीख के बाद मंजूर किये गये अथवा फिर से नये किये गये

सारणी 4—औद्योगिक ऋणों के लिए दिये गये पुनर्वित्त का संस्थावार विभाजन

(रुपये, करोड़ों में)

	1968-69		1967-68		30 जून 1969 को बकाया राशि
	स्वीकृत राशि*	वितरित राशि	स्वीकृत राशि*	वितरित राशि	
वाणिज्यिक बैंक	6.1	5.1	5.3	6.5	38.2
	(40.1)	(44.0)	(52.5)	(60.2)	(62.0)
राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	0.4	2.8
				(3.7)	(4.5)
राज्य वित्तीय निगम	9.1	6.5	4.8	3.9	20.6
	(59.9)	(56.0)	(47.5)	(36.1)	(33.5)
	15.2	11.6	10.1	10.8	61.6

* कुल मंजूरियां।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत हैं।

ऋण उक्त योजना के अंतर्गत आते हों। सारणी 5 में 1968-69 के जो आंकड़े दिए गए हैं यद्यपि उनकी ठीक-ठीक तुलना 1967-68 के आंकड़े से नहीं की जा सकती तथापि उन से यह प्रमाणित होता है कि भा० औ० वि० बैंक/रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों के प्रति रा० वि० निगमों के आकर्षित होने के कारण उनके परिचालन के स्वरूप में कुछ दिलचस्प परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार 1968-69 में 14 रा० वि० निगमों ने भा० औ० वि० बैंक को पुनर्वित्त की 4½ प्रतिशत की रियायती दर का लाभ उठाया जबकि 1967-68 में केवल 4 रा० वि० निगमों ने ही इसका लाभ उठाया था। इस वर्ष 189 आवेदनपत्रों पर 2.7 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त मंजूर किया गया है जबकि 1967-68 में 23 आवेदनपत्रों पर इसके लिए 51 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। इसके साथ ही पुनर्वित्त सहायता के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। 1968-69 में भा० औ० वि० बैंक ने 67 जिलों के लघु उद्योगों को पुनर्वित्त की सहायता दी है। इसके मुकाबले 1967-68 में 14 जिलों को ही यह सहायता दी गई थी।

सारणी 5—लघु उद्योगों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर किया गया पुनर्वित्त

राज्य	पुनर्वित्त के अंतर्गत आनेवाले जिले		मंजूर की गई सहायता			
			1968-69		1967-68	
	1968-69	1967-68	आवेदन-पत्रों की संख्या	रकम (रुपये, लाखों में)	आवेदन-पत्रों की संख्या	रकम (रुपये, लाखों में)
आंध्र प्रदेश	9	5	24	35.49	13	32.35
बिहार	2	—	3	6.00	—	—
गुजरात	15	—	76	81.91	—	—
केरल	1	—	1	2.00	—	—
मध्य प्रदेश	1	—	1	2.20	—	—
महाराष्ट्र	4	4	11	28.50	5	8.54
मैसूर	9	—	22	32.85	—	—
उड़ीसा	1	—	1	0.65	—	—
पंजाब	2	—	5	5.81	—	—
राजस्थान	5	—	11	14.24	—	—
तमिलनाडु	5	3	5	21.95	3	6.83
उत्तर प्रदेश	6	—	12	24.60	—	—
पश्चिम बंगाल	4	1	10	8.78	1	1.25
संघ शासित क्षेत्र	3	1*	7	5.58	1	2.00
जोड़	67	14	189	270.56	23	50.97

*यह आंकड़ा महाराष्ट्र रा वि. निगम द्वारा गोवा के एक छोटे कारखाने को मंजूर किए गये ऋण के पुनर्वित्त से सम्बन्धित है।

39. सारे देश के जिन जिलों मे रा० वि० निगमों के जरिए भा० औ० वि० बैंक का पैसा पहुंचा है उनकी जो संख्या 1967-68 में 14 थी वह 1968-69 में बढ़कर 67 तो हो गई है पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए संस्थागत वित्त का विनियोजन अब भी बहुत कम है। सन 1968-69 मे गुजरात रा० वि० निगम ने भा० औ० वि० बैंक के पैसे 15 जिलों में पुनर्वित्त की व्यवस्था की है जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है परन्तु इस संदर्भ में अधिकांश अन्य रा० वि० निगमों द्वारा बहुत कुछ किए जाने की अपेक्षा है। भा० औ० वि० बैंक, जो पुनर्वित्त प्रदान करता है और रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया का औद्योगिक वित्त विभाग, जो ऋणों की गारंटी देता है, दोनों राज्य वित्तीय निगमों को हमेशा यह प्रेरणा देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि वे अपने काम-काज का स्वरूप बदल दें और अपनी पहल तथा चतुराई का उपयोग अपने राज्यों के सभी जिलों और विशेषकर अर्धविकसित जिलों में लघु उद्योगों के अधिकतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करें। इस बारे में वाणिज्यिक बैंकों को बहुत कुछ करना चाहिए । यह आशा की जाती है कि 14 बैंकों का हाल ही में जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उस से इस कार्य में गति आएगी बशर्ते कि राज्य सरकारें स्वयं अपनी अपनी सीमाओं के भीतर के विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच असंतुलन को दूर करने की तुरंत आवश्यकता पर सोद्देश्य ध्यान दें।

(ii) मध्यावधिक निर्यात ऋण के पुनर्वित्त की योजना :

40 भा० औ० वि० बैंक ने पूंजीगत और इंजीनियरी माल के निर्यातकों को योग्य बैंकों द्वारा दिये गए मध्यावधिक निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त की योजना जारी रखी। देखिये परिशिष्ट (II)। इस योजना के अंतर्गत 4½ प्रतिशत पर पूरा पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है और उधार देनेवाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें। अगस्त 1967 में इस योजना का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है और योग्य निर्यात ऋण की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1968-69 में 11 आवेदनपत्रों पर पुनर्वित्त के लिए 7.5 करोड़ रुपयों की कुल राशि मंजूर की गई है। इसके मुकाबले 1967-68 में 3 आवेदनपत्रों पर मंजूर की गई उक्त राशि 0.3 करोड़ रुपये थी (देखिये सारणी 6)। इसके अन्तर्गत आनेवाली निर्यात की मदें इस प्रकार हैं : रेल की पटरियां और रेल-मार्ग सामग्री, पारेषण लाइन टावर, तांबे के और ए० सी० एस० आर० संवाहक, डीजल एंजिनें, पम्प सेट और फालतू पुर्जे, सूती और चीनी मिलों की मशीनें, और पानी साफ करने के संयंत्र। पिछले वर्षों में केवल एक ही बैंक ने इस सुविधा का लाभ उठाया था जब कि 1968-69 में 5 बैंकों ने इसका लाभ उठाया है। 0.3 करोड़ रुपयों के वितरणों की तुलना में इस वर्ष के वितरण भी 2.5 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा बैंक सिद्धांततः 16.5 करोड़ रुपयों के मूल्य के निर्यात आर्डरों के बारे में पुनर्वित्त सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। जून 1969 में 19 लाख रुपयों का केवल एक आवेदनपत्र ही विचाराधीन था।

सारणी 6—निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था

(राशि, करोड़ रुपयों में)

	1968-69 (जुलाई-जून)		1967-68 (जुलाई-जून)		सन् 1963 में योजना शुरू होने से लेकर 30 जून 1969 तक	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1. प्राप्त आवेदनपत्र	13	9.1	4	0.3	26	11.7
2. मंजूर किए गए आवेदनपत्र*	11	7.5	3	0.3	23	10.1
3. (अवधि के अन्त में) विचाराधीन रहनेवाले आवेदनपत्र	1	0.2	1	0.01	1	0.2
4. कुल प्रभावी स्वीकृतियां	11	7.5	3	0.3	23	9.3
5. वितरित पुनर्वित्त		2.5		0.3		4.1
6. पुनर्वित्त की अदायगी		0.3		0.4		1.8
7. अस्वीकृत/वापस किए गये/लौटाये गये आवेदनपत्र	2	0.1	—	—	2	0.1
8. (अवधि के अंत में) बकाया राशि		2.4		0.2		2.4
9. (अवधि के अंत में) अवितरित मंजूरियां		5.2		0.2		5.2

*कुल मंजूरियां

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान

41. 1968-69 में रा० वि० निगमो के शेयरों और बांडो के अभिदान के रूप में भा० औ० वि० बैंक के कार्य की प्रगति सारणी 7 में दी गई है। इस क्षेत्र में भा० औ० वि० बैंक शीर्ष संस्था का कार्य करता है अर्थात् वह सभी इजरो की सफलता निश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष भा० औ० वि० बैंक ने सहायता का सीमान्त कार्य किया है। इसके

सारणी 7—राज्य वित्तीय निगमों के शेयरों और बांडों में अभिदान, 1968-69

(रुपये, लाखो मे)

राज्य वित्तीय निगम	1968-69				जुलाई 1964 में भा. औ. वि. बैंक की स्थापना से लेकर जून 1969 के अंत तक			
	जारी किए गए शेयरों की कुल राशि	भा.औ.वि. बैंक का अभिदान	जारी किए गए बांडों की कुल राशि (अंकित मूल्य)	भा.औ.वि. बैंक का अभिदान (अंकित मूल्य)	जारी किए गये शेयरो की राशि	भा. औ. वि. बैंक का अभिदान	जारी किए गए बांडों की कुल राशि (अंकित मूल्य)	भा.औ.वि. बैंक का अभिदान (अंकित मूल्य)
1. आंध्र प्रदेश .	—	—	—	—	—	—	200 0	43.0
2. असम .	—	—	—	—	—	—	100.0	42 9
3. बिहार .	—	—	100.0	9 5	—	—	100 0	9 5
4. गुजरात .	—	—	100.0	—	—	—	150.0	22 2
5. हरियाणा .	—	—	50.0	—	68.8	16 7	50 0	—
6. जम्मू और कश्मीर	—	—	50.0	—	25.0	6 3	50 0	—
7. केरल	—	—	50.0	—	—	—	150 0	35 9
8. मध्य प्रदेश .	—	—	50.0	8.7	—	—	375 0	129 2
9. मद्रास (मद्रास औ. निवेश निगम)	—	—	200.0	—	152 4	75 0	350.0	3.3
10. महाराष्ट्र .	—	—	175.0	—	50.0	14.9	375.0	34.7
11. मैसूर .	—	—	50.0	—	—	—	200.0	24.6
12. उड़ीसा .	—	—	—	—	—	—	135.0	48.2
13. पंजाब .	—	—	—	—	29.2	5.2	—	—
14. राजस्थान .	—	—	—	—	—	—	175.0	48.0
15. उत्तर प्रदेश .	—	—	50.0	—	—	—	150.0	19 0
16. पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	—	—	200.0	54.8
योग .	—	—	875.0	18.2	325.4	118.1	2760.0	515.3

अनेक कारण थे, उदाहरणार्थ:—बांडों से अधिक निधियों का अधिशेष, केन्द्र की नीति में परिवर्तन जिससे कि कर्मचारी भविष्य निधि में प्रोद्भूत मासिक राशियों का 50 प्रतिशत राज्य सरकारों के ऋणों और सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों मे लगाया जा सके। इससे रा० वि० निगमों को पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम सहायता की जरूरत पड़ी है। वास्तव में इस वर्ष 10 रा० वि० निगमो द्वारा 8.8 करोड़ रुपयों के लिए जारी किए गये बांडों के लिए अधिक अभिदान किया जा चुका है। दो राज्य वित्तीय निगमों (मध्य प्रदेश और बिहार) द्वारा 1.50 करोड़ रुपयों के जारी किए गए बांडों में भा० औ० वि० बैंक का अभिदान 18.2 लाख रुपये था। इस वर्ष के दौरान राज्य वित्तीय निगमों ने हिस्सा पूंजी के लिए जनता में कोई शेयर जारी नहीं किए। भा० औ० वि० बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक रा० वि० निगमो द्वारा जारी किए गए बांडों के लिए कुल 5.2 करोड़ रुपयों (अंकत मूल्य) अथवा जारी किए गए कुल बांडों के 18.7 प्रतिशत का अभिदान किया है। भा० औ० वि० बैंक के इस अभिदान का बही मूल्य 5.1 करोड़ रुपये है। रा० वि० निगमों द्वारा जारी की गई हिस्सा पूंजी में भा० औ० वि० बैंक का अब तक का कुल अभिदान 1.2 करोड़ रुपये या जारी की गई कुल हिस्सा पूंजी का 36.3 प्रतिशत है।

42. 1968-69 के दौरान भा० औ० वि० बैंक ने भा० औ० ऋण और निवेश निगम के विशेष डिबेंचरो में 4.3 करोड़ रुपयों का अभिदान किया है जिससे उक्त निगम के डिबेंचरों के सार्वजनिक और विशेष हजरों में भा० औ० वि० बैंक के कुल अभिदान की राशि जून 1969 के अंत में 13.4 करोड़ रुपये हो गई है।

पुनर्भांजन सहायता

43. आस्थगित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री के बिलों/वचनपत्रों के पुनर्भांजन की बैंक की जो योजना अप्रैल 1965 में शुरू की गई थी उसमें 1968-69 में और संशोधन किया गया ताकि वह औद्योगिक विकास का अधिक उपयोगी साधन बन सके। पहले तो, अंतिम उपभोक्ता-खरीदार को दिए गए ऋण की लागत को और कम करने के लिए 16 जनवरी 1969 से बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले भांजन की अधिकतम दर में 1 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। स्मरण रहे कि भा० औ० वि० बैंक ने मई 1968 से अपनी पुनर्भांजन की दरों में ½ प्रतिशत की कमी कर दी है। इन दोनों उपायों का कुल मिलाकर यह प्रभाव हुआ है कि मशीनों के खरीदार की ऋण लागत की सीमा, बिलों की मियाद के अनुसार 10.6-12.0 प्रतिशत के दायरे से कम होकर 9.1-9.8 प्रतिशत (जहां मुद्रांक और अन्य प्रभार देने पड़ते हैं, वहां उनको मिलाकर) रह गयी है। उपभोक्ता-खरीदार बैंक (अथवा एकमात्र खरीदार के मामले में 3 लाख रुपये तक बीमा कम्पनी) द्वारा बिलों/वचनपत्रों के सकारे जाने/गारंटी दिए जाने के उपबंध को समाप्त कर के पुनर्भांजन की क्रियाविधि को भी सरल बनाया गया और यह बात विक्रेता बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गयी कि वह बिलों/वचनपत्रों के उक्त प्रकार से सकारे/गारंटी दिए जाने पर जोर दे या न दे। तीसरे, इस योजना के अधीन जनवरी 1969 में सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता-खरीदारों को भी यह सुविधा दी गई है जो पहले गैर सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता खरीदारों को ही मिलती थी। इसके अन्तर्गत बिजली उपक्रम, परिवहन निगम और सरकारी कम्पनियों जैसी स्वायत्त संस्थाएं आती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि डिज़ाइन इंजीनियरी की जो संस्थाएं अपनी डिज़ाइनों के अनुसार मशीनें बनाती हैं और उन्हें अपने व्यापार चिह्नों के अधीन बाज़ार में बेचती हैं, वे भी इस योजना के अधीन सहायता पाने की हक़दार हैं और परामर्श क्षेत्र की ऐसी संस्थाएं इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठा रही हैं।

44. इस वर्ष इस योजना का उत्तरोत्तर अधिक लाभ उठाया गया। भा० औ० वि० बैंक ने कुल मिलाकर 15.5 करोड़ रुपयों के बिलों का पुनर्भांजन किया जब कि 1967-68 और 1966-67 की यही रकमें क्रमशः 12.4 करोड़ और 7.1 करोड़ रुपये थीं। इस प्रकार इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक उसके अधीन पुनर्भांजन की कुल रकम 37.3 करोड़ रुपये है। इस योजना का लाभ उठानेवाले मशीन निर्माताओं की संख्या 1967-68 में 54 थी। इसके मुकाबले वह 1968-69 में बढ़कर 104 हो गयी है और खरीदार-उपभोक्ताओं की संख्या 237 से बढ़कर 335 हो गयी है।

कुल सहायता का उद्योगवार विभाजन

45. जुलाई 1964 से जून 1968 तक की कुल अवधि में और 1968-69 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूर की गयी और वितरित की गयी सहायता (जिसमें निर्यात के लिए दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों को छोड़कर प्रत्यक्ष ऋण, हमीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त और पुनर्भांजन सहायता शामिल है) का उद्योगवार विभाजन सारणी 8 में दिया गया है। भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1969 के अंत तक की अवधि में सहायता के प्रकार के अनुसार, सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण अनुबन्ध II में दिया गया है। आजकल बहुत से उद्योग भा० औ० वि० बैंक की सहायता का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में पहली बार भा० औ० वि० बैंक ने होटल उद्योग को और इलेक्ट्रानिक पुर्जों, एल्यूमीनियम, तांबे, औषधियों, कृत्रिम चमड़ा कमाने के कारखानों और चावल कूटने की मशीनों और प्रशीतन के पुर्जों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष सहायता दी है।

सारणी 8—जुलाई 1964 से जून 1968 तक की अवधि में और 1968-69 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई* और वितरित की गई सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	जुलाई 1964—जून 1968				1968-69			
	मंजूर की गयी सहायता	कुल राशि का प्रतिशत	वितरित की गयी सहायता	कुल राशि का प्रतिशत	मंजूर की गयी सहायता	कुल राशि का प्रतिशत	वितरित की गयी सहायता	कुल राशि का प्रतिशत
1. वस्त्र (जूट सहित) . .	26.8	13.9	28.2	17.4	6.4	13.1	3.0	7.2
2. कागज और कागज की चीजें .	5.9	3.0	5.2	3.2	6.2	12.7	1.4	3.3
3. रासायनिक खाद को छोड़कर मूल औद्योगिक रसायन . .	24.1	12.5	19.1	11.9	2.1	4.3	2.0	4.8
4. अन्य रासायन और रासायनिक पदार्थ . . .	12.5	6.5	8.5	5.2	1.1	2.2	3.1	7.4
5. रासायनिक खाद . .	35.2	18.2	31.7	19.5	0.3	0.6	2.5	6.0
6. सीमेन्ट . .	11.5	5.9	8.4	5.2	1.9	3.9	2.2	5.3
7. मूल धातु के उद्योग (मिश्र और विशेष इस्पात सहित) .	22.4	11.6	10.6	6.5	3.7	7.5	4.6	11.0
8. बिजली की मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण . .	32.0	16.5	27.0	16.6	20.5	41.8	18.0	43.1
9. बिजली की मशीनों का निर्माण	9.0	4.7	8.8	5.4	1.3	2.7	0.7	1.7
10. अन्य उद्योग . .	13.9	7.2	14.7	9.1	5.5	11.2	4.3	10.2
जोड़ .	193.3	100.0	162.2	100.0	49.0	100.0	41.8	100.0

*इनमें (निर्यातों के लिए दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों को छोड़कर) प्रत्यक्ष ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त और पुनर्भंजन सहायता शामिल हैं।

सहायता का राज्यवार वितरण

46. 1968-69 में और अपनी स्थापना से लेकर अब तक की अवधि में भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई कुल सहायता का राज्यवार वितरण क्रमशः सारणी 9 और 10 में दिया गया है। इन से यह पता लगेगा कि भा० औ० वि० बैंक के चाहे प्रत्येक वर्ष के पृथक् पृथक् आंकड़ों अथवा सारे वर्षों के आंकड़ों के कुल जोड़ पर विचार किया जाए उन से यह नहीं मालूम होता कि राज्यों को वित्तीय सहायता वितरित किये जाने के समय राज्यों के क्षेत्र, जनसंख्या या प्रति व्यक्ति आय जैसे तत्त्वों को ध्यान में रखा गया है। ऐसा हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सहायता की मंजूरी के बाद उसका वितरण किया जाता है और पार्टियों से आवेदनपत्र प्राप्त होने पर ही, उन पर सहायता मंजूर की जाती है। जिन ऐतिहासिक, भौगोलिक और अन्य कारणों को न तो वित्तदाता संस्थाएं स्वयं बदल सकती हैं और न ही उनका परिहार कर सकती हैं, उनके कारण कुछ राज्यों से वित्तीय सहायता के लिए अनेक आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं परन्तु सभी राज्यों से आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुए; वास्तव में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन से कोई आवेदनपत्र मुश्किल से ही प्राप्त होता है। अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में भी ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहां अब तक कोई औद्योगीकरण नहीं हो सका है अथवा जहां बहुत कम उद्योग हैं और जो हैं, वे भी प्रारंभिक अवस्था में हैं। इस प्रकार की परिस्थिति कई कारणों से उत्पन्न होती है, उदाहरणार्थ, बिजली और परिवहन जैसी अवस्थापना की सुविधाओं की अपर्याप्तता और उद्यमशील, स्थानीय प्रतिभा का अभाव। इस परिस्थिति में भा० वि० बैंक यही कर सकता है और जो लगातार कर भी रहा है कि वह कम विकसित क्षेत्रों से प्राप्त सहायता के आवेदनपत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देता है और उन पर विशेष सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है तथा अपनी सामान्य शर्तों से कुछ आसान शर्तों पर ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता देता है परन्तु बैंक महसूस करता है कि इस प्रकार की थोड़ी रियायतें देश के विभिन्न भागों के बीच पाए जानेवाले विकास के असंतुलन की उस समस्या को हल नहीं कर सकतीं जो संसद् और जनता के बीच आज चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।

सारणी 9—1968-69 में भा० औ० वि० बैंक मंजूर की गई और

राज्य	मंजूर की गई सहायता (प्रभावी)						
	ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	निर्यात के लिए दिये गये ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटी	पुनर्वित्त	पुनर्भांजन	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. आंध्र प्रदेश . .	—	—	—	—	154.4	—	154.4
2. असम . .	—	—	—	—	—	—	—
3. बिहार . .	35.0	—	—	—	27.9	97.0	159.9
4. गुजरात . .	40.0	—	1.9	—	210.4	76.5	328.8
5. हरियाणा . .	—	—	3.0	—	53.4	1.7	58.1
6. जम्मू और काश्मीर .	—	—	—	—	—	—	—
7. केरल . .	37.0	—	—	—	96.0	—	133.0
8. मध्य प्रदेश . .	—	—	—	—	30.2	141.1	171.3
9. महाराष्ट्र . .	119.7	610.5	17.8	60.1*	810.3	599.3	2217.7
10. मैसूर . .	116.8	—	182.5	—	61.4	129.0	489.7
11. नागालैण्ड . .	—	—	—	—	—	—	—
12. उड़ीसा . .	320.0	—	9.0	—	9.6	10.0	348.6
13. पंजाब . .	—	—	—	—	18.6	—	18.6
14. राजस्थान . .	—	—	—	—	308.3	—	308.3
15. तमिलनाडु . .	225.0	—	3.0	1.1	220.7	133.3	583.1
16. उत्तर प्रदेश . .	—	—	5.0	—	64.2	36.8	106.0
17. पश्चिम बंगाल .	707.0	44.0	15.5	—	151.6	323.1	1241.2
18. संघ शासित क्षेत्र .	—	—	—	—	42.7	1.6	44·3
जोड़ .	1600.5	654.5	237.6	61.2	2259.7	1549.4	6362.9

टिप्पणी : (1) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गयी है, उनके स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ मामलों में एकाधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भांजन का वर्गीकरण

वितरित की गई सहायता का राज्यवार वितरण

(रुपये, लाखों में)

	वितरित की गयी सहायता (जिनमें निष्पादित की गयी गारंटियाँ शामिल हैं)					
ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	निर्यात के लिए दिये गए ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटी	पुनर्वित्त	पुनर्भोजन	जोड़
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
20.0	—	—	—	139.9	—	159.9
—	—	—	—	—	—	—
153.0	—	—	—	30.5	83.1	266.6
32.0	—	1.9	—	202.4	65.5	301.8
—	—	—	—	52.1	1.5	53.6
—	—	—	—	—	—	—
20.6	—	—	—	47.7	—	68.3
—	—	—	—	22.8	120.9	143.7
245.8	—	1.2	—	339.9	513.2	1100.1
1.6	—	100.9	—	50.6	110.5	263.6
—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	2.2	—	20.4	8.6	46.2
—	—	—	—	14.5	—	14.5
—	—	—	—	181.7	—	181.7
490.0	—	21.7	1.1	174.7	114.2	801.7
242.0	—	19.7	—	49.3	31.5	342.5
285.0	—	9.7	—	84.2	276.7	655.6
26.4	—	—	—	0.2	1.4	28.0
1531.4	—	157.3	1.1	1410.9	1327.1	4427.8

मशीनों के निर्माताओ/विक्रेताओ के स्थान के आधार पर किया गया है। (2) इन आंकड़ों में राज्य वित्त निगमो के शेयरो और बाण्डों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम डिबेंचरों के लिए किये गये अभिदान के आंकड़े शामिल नही है।

* ये आंकड़े अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात ऋण) के हैं।

सारणी 10—जुलाई 1964 से जून 1969 तक की अवधि में भा० औ० वि० बैंक

राज्य	मंजूर की गयी सहायता (प्रभावी)					
	ऋण (निर्यात के लिए दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों सहित)	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटी	पुनर्वित्त	पुनर्भांजन	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आंध्रप्रदेश . . .	985.0	82.5	—	706.2	—	1773.7
2. असम	—	—	—	12.4	—	12.4
3. बिहार	583.0	165.0	—	99.5	117.7	965.2
4. गुजरात	1840.0	394.7	511.9	811.6	166.4	3724.6
5. हरियाणा . . .	—	23.0	—	237.4	1.7	262.1
6. जम्मू और कश्मीर . . .	—	—	—	—	—	—
7. केरल	147.0	4.0	—	289.0	—	440.0
8. मध्य प्रदेश . . .	—	49.0	—	316.6	177.4	543.0
9. महाराष्ट्र . . .	2934.8†	524.4	1390.0††	2969.8	1793.2	9612.2
10. मैसूर	279.8	221.0	—	355.7	196.2	1052.7
11. नागालैण्ड . . .	—	—	—	—	—	—
12. उड़ीसा	380.0	44.0	—	50.3	29.8	504.1
13. पंजाब	—	—	—	111.7	—	111.7
14. राजस्थान . . .	366.0	5.0	278.1	379.1	—	1028.2
15. तमिलनाडु . . .	1203.0	132.6	1.1	1779.4	425.3	3541.4
16. उत्तर प्रदेश . . .	472.0	69.5	295.0	246.4	76.0	1158.9
17. पश्चिम बंगाल . . .	1356.0‡‡	95.9	—	990.0	749.3	3191.2
18. संघ शासित क्षेत्र . . .	200.0	—	—	157.8	1.6	359.4
जोड़ . .	10746.6	1810.6	2476.1	9512.9	3734.6	28280.8

टिप्पणी : (1) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गयी है, उनके स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ मामलों में एकाधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भांजन का वर्गीकरण मशीनों के निर्माताओं/विक्रेताओं के स्थान के आधार पर किया गया है। (2) इन आंकड़ों में राज्य वित्त निगमों के शेयरों और बांडों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के डिबेंचरों के लिए किये गये अभिदान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

द्वारा मंजूर की गई और वितरित की गई सहायता का राज्यवार वितरण (रुपये, लाखों में)

नगदी वितरण और निष्पादित की गई गारंटियां					
ऋण (निर्यात के लिए दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों सहित	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटी	पुनर्वित्त*	पुनर्भांजन	जोड़
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
940.0	57.0	—	640.2	—	1637.2
—	—	—	24.4	—	24.4
188.0	8.9	—	143.7	101.1	441.7
1832.0	373.5	—	800.5	142.9	3148.9
—	9.9	—	238.4	1.5	249.8
—	—	—	30.0	—	30.0
125.0	3.9	—	213.4	—	342.3
—	48.8	—	316.7	152.4	517.9
2216.2	463.9	1329.9	2662.5	1540.4	8212.9
163.0	128.9	—	399.3	168.5	859.7
—	—	—	—	—	—
60.0	37.0	—	100.8	25.6	223.4
—	—	—	134.9	—	134.9
125.0	4.6	278.1	285.0	—	692.7
830.0	101.4	1.1	1635.6	365.3	2933.4
399.0	51.6	295.0	195.3	65.3	1006.2
358.5	74.5	—	910.0	643.7	1986.7
151.4	—	—	114.0	1.4	266.8
7388.1	1363.8	1904.1	8844.7	3208.1	22708.9

*इन आंकड़ों में उस पुनर्वित्त सहायता के लिये किये गये वितरण शामिल हैं जो सितम्बर 1964 में उद्योग पुनर्वित्त निगम के भा०औ० वि० बैंक में मिलाए जाने से पहले उसके द्वारा मंजूर की गई थी।

†इन में निर्यात के लिए दिया गया 610.48 लाख रुपयों का प्रत्यक्ष ऋण शामिल है।

††इन में अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात ऋण) के 60.14 लाख रुपये शामिल हैं।

‡‡इन में निर्यात के लिए 44 लाख रुपयों का प्रत्यक्ष ऋण शामिल है।

47. इस समस्या पर अब सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सलाह और सम्मति मांगी गई है। योजना आयोग ने दो अध्ययन दलों की नियुक्ति की थी कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाएं और उनमें उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए समुचित राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में अपनी सिफारिशें दें। इन दलों की रिपोर्टों पर भी सरकार विचार कर रही है।

48. इस बारे में वित्तीय संस्थाओं के कार्यों के शासकीय मार्गदर्शन की रूपरेखा तैयार होने तक भा०औ०वि० बैंक ने अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्णय किया है कि वह वस्तुतः कम विकसित क्षेत्रों में शुरू की जाने वाली छोटी और मझौले आकार की उपयुक्त परियोजनाओं के लिए अन्य बातों के साथ कम ब्याज दर लेने के लिए तैयार रहेगा, आवश्यक होने पर छूट की प्रारंभिक अवधि सामान्य 2-3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष या उससे अधिक कर देगा, अदायगी किए जाने की 10 से 15 वर्षों की सामान्य अवधि को 15 से 20 वर्षों तक बढ़ा देगा और जोखिम पूंजी में अपनी सहभागिता की मात्रा भी बढ़ा देगा। भा०औ०वि० बैंक इस बात के लिए भी तैयार रहेगा कि ऐसी परियोजनाओं को लाभप्रद स्वरूप प्रदान करने के लिए स्वतंत्र परामर्शदात्री फर्मों को रखा जाए। जो परियोजनाएं दीर्घकालीन आधार पर भी अलाभकारी होंगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा परन्तु यह विचार करते समय कि पिछड़े क्षेत्र की परियोजना लाभकारी है या नहीं, भा० औ०वि० बैंक न केवल उन सामान्य व्यवसायिक पहलुओं पर ही ध्यान देगा जो देश के काफ़ी विकसित भागों की परियोजनाओं का निर्णय करते समय सामान्यतः किसी के दिमाग में आ सकते हैं बल्कि कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देगा, उदाहरणार्थ जिस क्षेत्र की आबादी अधिक है और कोई काम का उद्योग नहीं है वहां औद्योगिक रोजगार की व्यवस्था करने की उपयोगिता, उद्योग से अपरिचित जन समूह में औद्योगिक कुशलता का चाव बढ़ाने का महत्व, औसत देशी लागत से कुछ अधिक लागतवाली और स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री से उपभोक्ता माल के निर्माण की व्यावहारिकता, बशर्ते कि ऐसे निर्माण से काफ़ी दूर के अन्य क्षेत्र से कच्चा माल लाने का खतरा और खर्च काफ़ी मात्रा तक कम किया जा सकता हो। ऊपर वर्णित निर्णय की क्रियान्विति में कितनी सफलता मिलेगी यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर रहेगा कि संबंधित राज्य सरकारों और राज्य स्तर की सरकारी संस्थाओं का सहयोग कितना प्रभावी और अच्छे किस्म का है।

आवधिक वित्त देनेवाली संस्थाओं द्वारा उद्योगों का वित्त-पोषण

49. इस खण्ड में आवधिक वित्त देनेवाली देश की प्रमुख संस्थाओं द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता के आंकड़े संकलित किये गये हैं ताकि औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता में इन संस्थाओं के कुल योगदान का पता लग सके। पिछले दो वित्तीय वर्षों में अप्रैल, मार्च भा० औ० वि० बैंक भा० ओ० वि० नि० भ० औ० ऋण और नि०नि०, राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा मंजूर की गई तथा वितरित की गयी वित्तीय सहायता के आंकड़े सारणी 11 और 12 में दिये गये हैं।

सारणी 11—1968-69 और 1967-68 (अप्रैल-मार्च) में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई सहायता

(रुपये, करोड़ों में)

	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान: सामान्य और अधिमान शेयर		हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान: डिबेंचर		जोड़	
	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68
भा० औ० वि० बैंक	47.1* (8.4)	26.6* (3.6)	—	—	1.1	0.9	1.5	—	49.7 (8.4)	27.5 (3.6)
भा० औ० वि० निगम	19.1	18.0	5.4	1.0	1.4	0.7	1.7	0.3	27.6	20.0
भा० औ० ऋ० और नि० निगम	2.2	3.7	27.3	6.0	2.6	2.7	4.9	2.8	37.0	15.3
रा० वित्त निगम	19.3	18.8	—	—	0.3	1.1	—	0.1	19.6	2.00
रा० औ० विकास निगम@	1.6	1.0	—	—	1.9	3.3	—	—	3.6	4.3
जोड़	89.3 (8.4)	68.1 (3.6)	32.7	7.0	7.3	8.7	8.1	3.2	137.5 (8.4)	87.1 (3.6)
यू० ट्र० इंडिया@@					2.4	3.1	7.9	5.2	10.3	8.3
जी० बा० निगम**		2.9				6.1		4.2		13.2

†इनमें प्रत्यक्ष ऋण, बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भोजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें रा० वि० निगमों को दी गयी पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाये गये आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े रा० वि० निगमों को दिये गये ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं अतः दुबारा शामिल नहीं किये गये।

@ये आंकड़े 10 रा० औ० विकास निगमों के हैं।

@@1968-69 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

††1968-69 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 12—1968-69 और 1967-68 (अप्रैल-मार्च) में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित की गई सहायता

(रुपये, करोड़ों में)

	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				जोड़	
					सामान्य और अधिमान शेयर		डिबेंचर			
	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68
भा० औ० वि० बैंक	27.4† (6.0)	39.0† (4.1)	—	—	0.4	2.6	0.5	—	28.2 (6.0)	41.6 (4.1)
भा० औ० वि० निगम	15.3*	17.9*	2.4	4.2	0.6	1.0	1.1	0.8	19.5	23.9
भा० औ० ऋ० और नि० निगम	2.7	5.8	8.7	10.0	1.5	1.7	3.4	2.8	16.2	20.4
राज्य वित्त निगम	17.9*	15.5*	—	—	0.5	0.6	..	0.2	18.5	16.2
रा० औ० वि० निगम@	1.5	1.1	—	—	1.2	1.8	—	—	2.7	2.9
जोड़	64.8 (6.0)	79.3 (4.1)	11.1	14.2	4.2	7.7	5.0	3.8	85.1 (6.0)	105.0 (4.1)
यू० ट्र० इंडिया@@					1.7	3.2	8.7	6.3	10.4	9.5
जी० बी० निगम††		10.8				5.2		5.6		21.6

†इन में प्रत्यक्ष ऋण, बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भांजन के आंकड़े शामिल हैं और इन मे रा०वि० निगमो को दी गयी पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाये गये आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि ये आंकड़े रा० वि० निगमों को दिये गये ऋणों के अंतर्गत आ चुके है अतः दुबारा शामिल नहीं किये गये।

*इन में गारंटियों के कारण वितरित की गयी राशि शामिल है।

.. ये आंकड़े नगण्य हैं।

@ये आंकड़े 10 रा० औ० विकास निगमों के है।

@@1968-69 के आंकड़े अनन्तिम है।

††1968-69 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

50. भा०औ०वि०बैंक, भा०औ०वि०नि०, भा०औ०ऋ० और नि०नि०, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा 1968-69 में मंजूर और वितरित की गयी कुल वित्तीय सहायता की रकमे क्रमशः 137.5 करोड़ रुपये और 85.1 करोड़ रुपये थी। इसके मुकाबले में 1967-68 में मंजूर और वितरित की गई वित्तीय सहायता की कुल रकमें 87.1 करोड़ और 105.0 करोड़ रुपये थीं; यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 1968-69 में पिछले वर्ष के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक लघु और मझोले आकार की परियोजनाओं के लिए सभी आवधिक वित्त संस्थाओं ने सहायता मंजूर की थी। इस वर्ष आवधिक वित्त देनेवाली संस्थाओं के कामकाज की एक विशेषता यह थी कि उनके डिबेंचरों की हामीदारी की रकम में वृद्धि हुई। नयी शेयर पूंजी जारी किये जाने के कार्यकलाप कम हो जाने और अर्थ व्यवस्था में नकदी की अधिक मात्रा हो जाने के कारण कतिपय सुप्रतिष्ठित कम्पनियों ने मौके का लाभ उठा कर अपनी विस्तार योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए नये डिबेंचर जारी किये। 1967-68 के मुकाबले 1968-69 में सहायता के वितरण में और कमी हुई जिससे यह पता लग सकता है कि पिछले दो वर्षों में कम मात्रा में सहायता मंजूर की गई है। ऐसी आशा है कि मंजूरियों में वृद्धि होने पर आगामी वर्षों के वितरणों में वृद्धि होगी।

51. आवधिक वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं की निधियों के स्रोत और उनके उपयोग के 1968-69 के आंकड़े अनुबन्ध III में दिए गए हैं।

विकास सहायता निधि* (वि० स० निधि)

52. 1968-69 में भा०औ०वि० बैंक ने वि०स० निधि में से एक कम्पनी अर्थात् गोवे आइरन एण्ड स्टील कं० लि० को उसकी परियोजना की बढ़ी हुई लागत की वित्तीय सहायता के लिए 35 लाख रुपयों का अतिरिक्त ऋण मंजूर किया। भा० औ वि० बैंक ने इसके पहले भी इस कम्पनी को सामान्य निधि में से वित्तीय सहायता मंजूर की थी परन्तु बाद में वि०स० निधि का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वाणिज्यिक आधार पर सामान्य निधि से और अधिक आवधिक सहायता देना संभव नहीं था। वि०स० निधि की स्थापना से लेकर जून 1969 के अंत तक 3 परियोजनाओं के

*भा० औ० वि० बैंक की सामान्य निधि से अलग यह निधि भा० औ० वि० बैंक अधिनियम की धारा 14 की शर्तों के अनुसार मार्च 1965 में बनाई गई थी ताकि विशेष रूप से योग्य ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से सहायता दी जा सके जिनको बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में आवश्यक सहायता दिए जाने की संभावना न हो।

लिए निधि में से मंजूर की गयी सहायता की कुल रकम 33.2 करोड़ रुपये थी जिसमें कुल मिलाकर 25.4 करोड़ रुपये ऋण और 2.7 करोड़ रुपये हामीदारी सहायता के हैं तथा 5.1 करोड़ रुपयों की आस्थगित अदायगी की गारन्टी है।

53. 1968-69 में वि०स० निधि में से सहायता की कोई राशि वितरित नहीं की गयी तथा न ही सरकार से कोई राशि उधार ली गयी। इस प्रकार निधि की स्थापना से लेकर जून 1969 के अंत तक सहायता की वितरित की गई तथा उधार ली गई राशि के आंकड़ों अर्थात् क्रमशः 27.6 करोड़ रुपये और 27.4 करोड़ रुपये की रकमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1968-69 में वि०स० निधि के प्रशासन संबंधी खर्च के लिए सामान्य निधि को 5 लाख रुपयों की रकम अंतरित किये जाने के बाद उसमें (1967-68 में 48 लाख रुपयों के लाभ के मुकाबले) 50 लाख रुपयों का लाभ हुआ।

लेखे और अन्य विषय

आय-व्यय

54. इस खण्ड के अन्तर्गत भा०औ०वि० बैंक के सामान्य निधि के लेखों का उल्लेख किया गया है। 1968-69 में सामान्य निधि की कुल आय 1967-68 की 8.7 करोड़ रुपयों की कुल आय से बढ़कर 10.4 करोड़ रुपये हो गई और कुल खर्च 5.6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 6.8 करोड़ रुपये हो गया। 3.6 करोड़ रुपयों के (1967-68 में 3.1 करोड़ रुपये) वास्तविक लाभ में से 2.8 करोड़ रुपयों (1967-68 में 2.3 करोड़ रुपये) की राशि आरक्षित निधि को तथा शेष 75 लाख रुपये की राशि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को अंतरित कर दी गयी। (1967-68 में भी इतनी ही राशि अंतरित की गई थी।) भा०औ०वि० बैंक की आरक्षित निधि जून 1969 के अन्त में 8.9 करोड़ रुपये थी।

साधन

55. 1968-69 और 1967-68 में निधियों के प्रधान साधन नीचे लिखे अनुसार थे :—

(रुपये, करोड़ों में)

	1968-69	1967-68
(i) चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों में वृद्धि .	2.8	2.3
(ii) लिया गया ऋण :		
(क) भारत सकार से	25.0	25.0
(ख) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से .	0.2	0.8
(iii) सहायता की अदायगी :		
(क) पुनर्वित्त .	14.8	19.6
(ख) पुनर्भोजन .	5.5	4.0
(ग) प्रत्यक्ष ऋण .	1.4	1.2

(i) शेयर पूंजी

56. 1968-69 में बैंक की प्रदत्त पूंजी 20 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही।

(ii) भारत सरकार से उधार ली गई राशियां

57. इस वर्ष भा०औ०वि० बैंक ने सामान्य निधि लेखे बाबत सरकार से 25 करोड़ रुपयों का ऋण लिया है। इस ऋण पर ब्याज की दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की उस छूट का हिसाब लगाने के बाद उसकी प्रभावी दर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी जो सरकार द्वारा ब्याज तथा मूलधन की समय पर अदायगी किये जाने के लिए जून 1968 से दी जा रही है। इस वर्ष सरकार से उधार ली गई राशि में से 4.3 करोड़ रुपये भा० औ०ऋ० और नि० निगम को उसके द्वारा जारी किये गये विशेष डिबेंचरों पर वितरित किये गये हैं। 30 जून 1969 को, सरकार से उधार ली गई राशि 177.5 करोड़ रुपये थी जिसमें वि०स० निधि को दिये गये 27.4 करोड़ रुपये के ऋण की राशि शामिल है।

(iii) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से उधार ली गई राशि

58. रिजर्व बैंक ने अपने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ-कालीन क्रियाएं) निधि में से भा० औ० वि० बैंक को कुल मिलाकर 7.0 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा मंजूर की है जो नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) राज्य वित्त निगमों के बाण्डों में अभिदान के लिए 3.5 करोड़ रुपये ;

(2) राज्य वित्त निगमों की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 1.0 करोड़ रुपये ;

(3) ऋण गारंटी योजना के अधीन आनेवाले लघु उद्योगों को दिये जानेवाले आवधिक ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करने के लिए $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वार्षिक रियायती दर पर 2.5 करोड़ रुपये।

उपयुक्त मद (1) की ऋण-सीमा में से इस वर्ष केवल 18 लाख रुपयों की राशि उधार ली गई क्योंकि वर्ष के दौरान अधिकांश राज्य वित्त निगमों के बाण्डों के लिए अधिक अभिदान प्राप्त हो गया जिस से भा० औ० वि० बैंक की सहायता की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई। राज्य वित्त निगमों द्वारा कोई सामान्य शेयर पूंजी जारी न किये जाने के कारण उपर्युक्त मद (2) की ऋण-सीमा में से कोई भी राशि आहरित करने का अवसर नहीं आया। साथ ही, उपर्युक्त मद (3) की ऋण सीमा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इस वर्ष भा० औ० वि० बैंक की साधन स्थिति में अधिशेष बना रहा। जून 1969 के अंत में निधि में 68.7 करोड़ रुपयों की बकाया राशि थी।

लेखा परीक्षक

59. ए० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०, बंबई द्वारा बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा की गई। इनकी नियुक्ति भा० औ० वि० बैंक अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी।

निदेशक-बोर्ड

60. भा० औ० वि० बैंक का निदेशक बोर्ड रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड जैसा ही है। चार निदेशक अर्थात् सर्वश्री आर० जी० सरैया, श्री० एन० मुकर्जी, श्री० एस० त्यागराज मुदलियार और राजा बजरंग बहादुर सिंह रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में से निवृत्त हुए और फलतः 14 जनवरी 1969 को अपने कार्यकाल की समाप्ति

पर भा० औ० वि० बैंक के बोर्ड में से भी निवृत्त हो गए और उनके रिक्त स्थानों पर तारीख 15 जनवरी 1969 से केन्द्रीय सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के केन्द्रीय बोर्ड में सर्वश्री एस० एल० किर्लोस्कर, भास्कर, मित्तर, व्ही० एन० पुरी और डी० सी० कोठारी की नियुक्ति की है।

61. सर्वश्री आर० जी० सरैया, बी० एन० मुकर्जी, व्ही० एस० त्यागराज मुदलियार और राजा बजरंग बहादुर सिंह द्वारा भा० औ० वि० बैंक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोर्ड उनका हार्दिक आभारी है।

बोर्ड और कार्यकारिणी समिति

62. इस वर्ष निदेशक बोर्ड की सात बैठकें, अर्थात् बंबई में दो और हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली और बंगलूर में एक एक बैठक, हुई हैं। इस वर्ष कार्यकारिणी समिति की, जिस में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आठ अन्य निदेशक हैं, चौदह बैठकें हुई हैं। इन में से हैदराबाद मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली में एक एक बैठक और शेष बैठकें बंबई में हुई हैं।

तदर्थ सलाहकार समितियां

63. पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भा० औ० वि० बैंक ने विशेष परियोजनाओं के संबंध में सलाह लेने के लिए तकनीकी सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करना जारी रखा। इस उद्देश्य के लिए समय समय पर तदर्थ सलाहकार समितियां गठित की गई। 1968-69 में इन तदर्थ सलाहकार समितियों की कुल मिलाकर 8 बैठकें हुई। भा० औ० वि० बैंक का निदेशक बोर्ड सलाहकारों और विशेषज्ञों द्वारा बैंक को दी गयी बहुमूल्य सहायता तथा सलाह के लिए उनका ऋणी है।

भा० औ० वित्त निगम के कार्य की देखरेख

64. भा० औ० वित्त निगम की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत शेयरों का धारक होने के कारण भा० औ० वि० बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अनुसार भा० औ० वित्त निगम के कार्यों की देखरेख जारी रखी। औ० वि० नि० अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार भा० औ० वि० बैंक नई दिल्ली की फर्म एस० वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं० को फिर से निगम का लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। आलोच्य वर्ष में सर्वश्री चरत राम, जी० रामानुजम, आर० एन० भार्गव और भा० औ० वि० बैंक के प्रमुख प्रबन्धक श्री पी० के० दासगुप्ता भा० औ० वि० नि० के निदेशक बोर्ड में भा० औ० वि० बैंक के नामितों के रूप में कार्य करते रहे।

उपसंहार

65. भा० औ० वि० बैंक ने अब अपने जीवन के पांच वर्ष पूरे कर लिये हैं। इस अल्पावधि में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सहायता के संबंध में बैंक की नीतियों में लगातार इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि वे बदलती हुई आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो सकें। अर्थ व्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में मंदी की स्थिति का प्रभाव कम करने, निर्यात को बढ़ावा देने और देश के अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तथा विकास को प्रोत्साहित करने की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया। बैंक आवधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में अधिक समन्वय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहा है ताकि सहायता की मंजूरी और वितरण के लिए निश्चित रूप से समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। भा० औ० वि० बैंक निकट भविष्य में जो चार प्रादेशिक कार्यालय खोलने जा रहा है उनके लिए अतिरिक्त तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

66. हमारे सामने दुस्तर कार्य है। औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि 1961-65 की अवधि में हुई वृद्धि की दर से कम है। पूंजीगत और इंजीनियरी माल के कुछ उद्योगों की उत्पादन क्षमता का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि निर्यातों में और अधिक वृद्धि करने पर—जो स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है—उक्त क्षमता का उपयोग करने में कुछ मदद मिल सकेगी तथापि उनकी निष्क्रिय क्षमता का पूर्ण उपयोग किये जाने की समस्या बनी हुई है। परंपरागत उद्योगों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए भी काफ़ी गुंजाइश है। बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुए लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर पिछले वर्षों की अपेक्षा और अधिक जोर-शोर से ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि चौथी योजना में औद्योगिक उद्देश्यों और नीतियों का व्यापक ढांचा दिया गया है तथापि उन्हें व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तन्त्र का संगठन करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। औद्योगिक विकास की संभावना को परखना होगा और उनका उपयोग करने के लिए साधन जुटाने होंगे। उद्योग प्रारंभ करने के लिए अवस्थापना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने और औद्योगिक प्रतिभा तैयार करने और विकसित करने की भी आवश्यकता है। यह आशा की जाती है कि उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में बैंक व्यवस्था के राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के कार्यों और आवधिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों, उद्योगों, श्रमिकों और वित्तीय संस्थाओं को समन्वित रूप से, सामूहिक और भागीरथ प्रयत्न करने होंगे।

67. जिन राज्य सरकारों का अपने राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास की समस्या से बुनियादी वास्ता है, उनसे भा० औ० वि० बैंक के अध्यक्ष ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इस बारे में विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विशिष्ट उद्योगों या कच्ची सामग्री की उपलब्धि अथवा बाजारों के सोद्देश्य सर्वेक्षणों द्वारा औद्योगिक विकास के ठोस कार्यक्रम तैयार करने की मौलिक आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों में भा० औ० वि० बैंक शीर्षस्थ वित्तीय संस्था के रूप में प्रसन्नतापूर्वक अपना योगदान देगा। बैंक ने अंतरिम उपाय के रूप में अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर कम विकसित क्षेत्रों में शुरू की जानेवाली छोटी और मझौली परियोजनाओं की सहायता करने की एक योजना की रूप रेखा घोषित की है। इस संबंध में और अधिक निश्चित नीतियां अभी निर्धारित की जानी हैं और देश के विभिन्न भागों में उल्लेखनीय परिणामों की उपलब्धि में समय लगेगा। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि भा० औ० वि० बैंक और आवधिक ऋण देनेवाली दूसरी संस्थाएं निस्संदेह इस क्षेत्र में अपना योगदान देंगी फिर भी वे कितना ही क्यों न करें उनका योगदान राज्य सरकारों और दूसरी एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों का पूरक ही हो सकता है।

अनुबन्ध

उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए 1968-69 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	परियोजना की लागत	वित्तीय सहायता के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि**	आस्थगित अदायगी
1		2	3	4	5	6
1.	ब्रेडबरी मिल्स लि०	55.0	—	—	55.0	—
2.	इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लि०	4434.0	642.0	1687.0	2105.0 (1199.0)	—
3.	के० सी० पी० लिमिटेड	—	—	—	—	—
4.	दामोदर एन्टरप्राइजेज़ लि०	46.5	20.0	—	26.5 (6.5)	—
5.	दि नेशनल टैनरी कम्पनी लि०	80.0	15.0	—	65.0 (35.0)	—
6.	उड़ीसा फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लि०	40.7	20.0	—	19.0	1.7
7.	मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी लि०	162.4	—	—	162.4 (87.4)	—
8.	इंडिया सीमेंट्स लि०	1199.8	—	—	1080.9 (431.0)	118.9
9.	ओ० ई० एन० इंडिया लि०	91.4	40.0	—	51.4 (14.4)	—
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युटर्स (इंडिया) लि०	62.6	24.1	—	36.3	2.3
11.	महिन्द्रा युजीन स्टील कम्पनी लि०	1015.0	367.5	—	608.1	39.4
12.	पूना इन्डस्ट्रियल होटल लि०	80.0	40.0	—	40.0	—
13.	जेसॉप एण्ड कम्पनी लि०	905.0	—	—	905.0 (295.0)	—
14.	स्ट्रॉ प्राडक्ट्स लि०	844.0	50.0	—	794.0 (244.0)	—
15.	व्ही० एस० टी० टिलर्स लि०	155.0	75.0	—	80.0 (20.0)	—
16.	रेफ्रिजरेशन एसेसरीज लि०	23.7	12.5	—	17.5 (10.9)	—
17.	पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	417.0	130.0	—	287.0 (61.5)	—
18.	श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लि०	550.2	—	175.0	375.2 (211.3)	—

(क)

प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (निर्यात के लिए दी गई सहायता को छोड़कर) मंजूर की गयी है ।

(रुपये, लाखों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहयोगियों का अंशदान			भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी वित्तीय सहायता†					2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
प्रवर्तक, निदेशक आदि*	सहयोगी	7 और 8 का जोड़*	ऋण‡	हामीदारी		10, 11 और 12 का जोड़‡	गारंटी		
				सामान्य और अधिमान शेयरों के लिए‡	डिबेंचरों के लिए‡				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	—	45.0	10.0††	—	55.0	—	—	100.0
1199.0	424.0	1623.0	—	—	50.0 100.0	150.0	—	36.6	3.4
—	—	—	—	—	—	—	1.1‡‡	—	—
12.5	—	12.5	—	4.0	—	4.0	—	26.9	8.6
38.0	—	38.0	22.0	11.5	—	33.5	—	47.5	41.9
6.0	—	6.0	15.0	4.0 5.0@	—	24.0	—	14.7	59.0
87.4	—	87.4	75.0	—	—	75.0	—	53.8	46.2
431.0	—	431.0	100.0 (275.0)	—	—	100.0 (275.0)	—	35.9	8.3 (22.9)
36.4	18.0	54.4	37.0	—	—	37.0	—	59.5	40.5
7.0	—	7.0	—	5.0	—	5.0	—	11.2	8.0
85.5	65.5	151.0	34.7 (92.2)	—	—	34.7 (92.2)	—	14.9	3.4 (9.1)
18.0	—	18.0	—	6.0	—	6.0	—	22.5	7.5
295.0	—	295.0	300.0	—	—	300.0	—	32.6	33.1
244.0	—	244.0	305.0	—	—	305.0	—	28.9	36.1
35.0	15.0	50.0	16.8	7.5	—	24.3	—	32.3	15.7
10.9	—	10.9	—	3.0	—	3.0	—	46.0	12.7
134.1 (22.5)	—	134.1 (22.5)	40.0 (84.5)	— (22.5)	—	40.0 (107.0)	—	32.2	9.6 (25.7)
211.3	—	211.3	40.0	—	— (50.0)	40.0 (90.0)	—	38.4	7.3 (16.4)

(अगले पृष्ठ पर जारी)

अनुबन्ध

उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्योरा जिनके लिए 1968-69 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	परियोजना की लागत	वित्तीय सहायता के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि**	आस्थगित अदायगी
1		2	3	4	5	6
19.	चेट्टीनाड सीमेंट कारपोरेशन लि०	645.0	300.0	—	345.0 (21.4)	—
20.	दि टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लि०	637.4	—	—	637.0 (87.0)	—
21.	मैसूर एसीटेट एण्ड केमीकल्स कम्पनी लि०	942.4	350.0	—	635.6 (3.0)	—
22.	नेशनल कम्पनी लि०	317.0 (468.3)†††	—	—	302.3 (152.3)	14.7
	जोड़	**12704.1 (12855.4)**	**2086.1**	**1862.0**	**8628.2 (2879.7)**	**177.0**
23.	गेडे आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	228.0	75.0	—	132.2	20.8
	जोड़	**12932.1 (13083.4)**	**2161.1**	**1862.0**	**8760.4 (2879.7)**	**197.8**
	क्रयाधिकार शेयरों के लिए अभिदान					
1.	टाटा मलिन एण्ड गेरिन लिमिटेड		19.0			
2.	सेन्ट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड		18.1			
3.	इण्डिया मीटर्स लिमिटेड		22.5			
	कुल जोड़		**2220.7**	**1862.0**	**8760.4 (2879.7)**	**197.8**

नोट: ये आंकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो सहायता मंजूर करते समय उपलब्ध थी। कुछ परियोजनाओं के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों आदि के अंशदान के आंकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो उनके सम्बन्धित विवरणों में उपलब्ध हैं।

**कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, जोड़ में शामिल किये गये आन्तरिक साधन, प्रोद्भूत नकद राशियों आदि से सम्बन्धित हैं।

*इन आंकड़ों में आन्तरिक साधन, प्रोद्भूत नगदी राशियां आदि शामिल हैं। मुख्य आंकड़ों में शामिल किये गये ऋण, जमा आदि के रूप में प्रवर्तकों और सहयोगियों द्वारा किया गया अंशदान खाना 7 और 9 में कोष्ठकों मे अलग से दर्शाया गया है।

†ये आंकड़े प्रभावी मंजूरियों से सम्बन्धित हैं।

‡कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल सहायता से सम्बन्धित हैं जिसमें भा० औ० वि० बैं० द्वारा मंजूर की गयी अति-

I (क)—जारी

प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (निर्यात के लिए दी गई सहायता को छोड़कर) मंजूर की गई है।

(रुपये, लाखों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहयोगियों का अंशदान			भा० औ० वि० बै० द्वारा मंजूर की गयी वित्तीय सहायता†					2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
			ऋण‡	हामीदारी		10, 11 और 12 का जोड़‡	गारंटी		
प्रवर्तक, निदेशक आदि*	सहयोगी	7 और 8 का जोड़*		सामान्य और अधिमान शेयरों के लिए	डिबेंचरों के लिए				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106.4	—	106.4	50.0	—	—	50.0	—	16.5	7.8
			(85.0)	(50.0)		(135.0)			(20.9)
87.0	—	87.0	235.0	—	—	235.0	—	13.6	36.9
232.9	68.0	300.9	100.0	25.0@		125.0	—	31.9	13.3
			(263.0)	(35.0)	—	(298.0)			(31.6)
152.3	—	152.3	150.0+	—	—	150.0+	—	48.0	47.3
			(214.0)			(214.0)			(45.7)
3429.7	590.5	4020.2	1565.5	81.0	150.0	1796.5	1.1	31.6	14.1
(22.5)		(22.5)	(2104.5)	(163.5)	(200.0)	(2478.0)			(19.2)
54.2	10.0	64.2	35.0++	—	—	35.0++	—	28.2	15.4
(17.2)		(17.2)	(53.0)	(9.0)		(62.0)			(27.2)
3483.9	600.5	4084.4	1600.5	81.0	150.00	1831.5	1.1	31.6	14.2
(39.7)		(39.7)	(2157.5)	(172.5)	(200.0)	(2530.0)			(19.3)
			—	1.8	—	1.8	—		
				(13.8)		(13.8)			
			—	1.9	—	1.9			
				(49.4)		(49.4)	—		
			—	3.0	—	3.0			
				(10.5)		(10.5)	—		
3483.9	600.5	4084.4	1600.5	87.7	150.0	1838.2	1.1		
(39.7)		(39.7)	(2157.5)	(246.2)	(200.0)	(2603.7)			

रिक्त सहायता शामिल है।

††ये क्रयाधिकार शेयरों के लिए प्रत्यक्ष अभिदान के आंकड़े हैं।

‡‡ये वाणिज्य बैंक द्वारा दी गयी प्रति-गारंटी पर आस्थगित आदायगी के लिए गारंटी के आंकड़े हैं।

@ये प्रत्यक्ष अभिदान के आंकड़े हैं।

†††इस में एक परियोजना की लागत शामिल है जिसके लिए भा० औ० वि० बैंक ने 1965-66 में 64 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था।

+इस राशि में से उस सीमा तक रकम घटायी जायगी जिस सीमा तक दूसरी संस्थाएं मंजूर करने के लिए सहमत हों।

++ये आंकड़े विकास सहायता निधि में से दी गई राशि के हैं। इसके पूर्व 1964-65 और 1966-67 में मंजूर की गयी सहायता बैंक की सामान्य निधि में से मंजूर की गयी थी।

अनुबन्ध

1968-69 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा निर्यात के लिए मंजूर

निर्यातक का नाम	निर्यात किये जानेवाले माल का स्वरूप	आयात करनेवाला देश	अदायगी की मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1. कमानी इंजीनियरींग कार्पोरेशन लि०, बम्बई	पारेषण लाइन टावर, तांबे के और ए० सी० एस० आर० संवाहक	ईरान	अमरीकी डालर
2. रामचन्दर हीरालाल, कलकत्ता	रेल पथ की सामग्री	ईरान	अमरीकी डालर
		जोड़	

नोट: (1) ये आंकड़े सहायता मंजूर किए जाते समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं।

अनुबन्ध

भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई वित्तीय

उद्योग	1968-69					
	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण
	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय सहायता (निर्यात के लिए दी गई सहायता को छोड़कर)						
1. कोयला खनन . . .	—	—	16.8	—	16.8	—
2. पत्थर, खदान, मिट्टी और रेत की खानें	—	—	8.1	—	8.1	7.5
3. धातु खनन	—	—	16.4	—	16.4	—
4. पेय उद्योगों को छोड़कर खाद्य पदार्थ निर्माण						
(क) चीनी . . .	—	—	29.0	—	29.0	47.6
(ख) अन्य . . .	—	—	84.4	—	84.4	83.5
5. कपड़ों का निर्माण						
(क) सूती कपड़े . .	45.0	10.0	341.3	—	396.3	193.8
(ख) अन्य . . .	150.0	—	93.6	—	243.6	103.2
6. फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और काग का निर्माण	—	—	1.5	—	1.5	1.3
7. फर्नीचर और जुड़नारों का निर्माण .	—	—	2.2	—	2.2	—
8. कागज़ और कागज़ की चीज़ों का निर्माण .	580.0	1.9	39.4	—	621.3	143.3
9. मुद्रण, प्रकाशन और सम्बद्ध उद्योग .	—	—	20.6	—	20.6	14.8

I (ख)

किये गये प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां

(रुपये, लाखों में)

भा० औ० वि० बैंक और वाणिज्य बैंकों से आवश्यक कुल सहायता			मंजूर की गयी कुल सहायता भा० औ० वि० बैं० का अंश		
पोतलदानोत्तर ऋण	निष्पादन गारंटी	अन्य गारंटियां	पोतलदानोत्तर ऋण	निष्पादन गारंटी	अग्रिम अदायगी की गारंटियां
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1017.47	63.80	120.28	610.48 (60%)	—	60.14 (50%)
62.52	—	—	44.00 (70%)	—	—
1079.99	**63.80**	**120.28**	**654.48**	—	**60.14**

(2) कोष्ठकों में दिये गये प्रतिशत भा० औ० वि० बैंक की सहभागिता के अंश के द्योतक हैं।

II

सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

1967-68						भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से जून 1969 के अन्त तक		
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण			
ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़		मंजूर की गई कुल सहायता	प्रत्येक उद्योग के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि का सहायता की कुल राशि से प्रतिशत	कुल वितरण*
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	10.0	—	10.0	0.8	84.5	0.3	207.7
—	—	—	—	—	0.3	32.4	0.1	31.8
—	—	—	—	—	2.9	50.9	0.2	34.6
—	—	18.4	—	18.4	13.8	252.8	1.0	234.8
—	—	56.1	—	57.1	34.3	221.2	0.9	213.8
75.0	3.0	35.9	—	113.9	232.7	2378.7	9.8	2443.0
—	—	164.8	—	164.8	89.5	942.7	3.9	676.8
—	—	—	—	—	—	17.4	0.1	52.3
—	—	—	—	—	—	6.6	..	4.4
60.0	—	30.5	—	90.5	144.0	1213.4	5.0	659.7
—	—	—	—	—	—	65.8	0.3	58.8

अनुबन्ध

भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई वित्तीय

उद्योग	1968-69					
	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण
	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
10. जूते और पहनने के अन्य परिधानों को छोड़कर चमड़े और फर की चीजों का निर्माण	—	—	4.2	—	4.2	3.5
11. चमड़े के बने हुए जूते और पहनने योग्य परिधान	22.0	11.5	—	—	33.5	—
12. रबड़ की चीजों का निर्माण . .	—	—	17.8	—	17.8	40.6
13. रसायन और रासायनिक चीजों का निर्माण						
(क) उर्वरकों को छोड़कर मूल औद्योगिक रसायन	100.0	25.0	86.2	—	211.2	200.0
(ख) उर्वरक . . .	15.0	9.0	9.7	—	33.7	247.3
(ग) (खाद्य तेलों को छोड़कर वनस्पति और जानवरों के तेल और चरबी	—	—	26.1	—	26.1	20.1
(घ) कृत्रिम रेशों का निर्माण .	—	—	17.2	—	17.2	1.4
(ङ) रंगों, वार्निशों और लेकर का निर्माण . . .	—	—	3.2	—	3.2	—
(च) विविध रासायनिक चीजों का निर्माण . . .	—	—	66.0	—	66.0	288.8
14. पेट्रोलियम और कोयले की चीजों का निर्माण	—	—	—	—	—	—
15. पेट्रोलियम और कोयले की चीजों को छोड़कर अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण						
(क) इमारती मिट्टी की चीजों का निर्माण	—	—	7.7	—	7.7	6.5
(ख) कांच और कांच की चीजों का निर्माण . . .	—	—	25.0	—	25.0	23.3

II

सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण (जारी)

1967-68						भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से जून 1969 के अन्त तक		
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण			
ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़		मंजूर की गई कुल सहायता	प्रत्येक उद्योग के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि का सहायता की कुल राशि से प्रतिशत	कुल वितरण*
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	—	—	—	0.6	4.8	..	4.1
—	—	—	—	—	—	33.5	0.1	—
—	—	18.0	—	18.0	4.8	87.6	0.4	78.3
315.0	47.5	90.8	—	453.3	622.6	'2626.1 (1081.4)	10.8	2113.0 (1081.4)
—	—	—	—	—	536.1 (295.0)	3556.7 (1085.0)	14.7	3420.9 (573.1)
—	—	30.7	—	30.7	16.6	60.5	0.3	47.3
—	—	—	—	—	49.6	226.3	0.9	211.5
—	—	—	—	—	—	67.2	0.3	64.0
313.0	26.5	46.6	—	386.1	90.2	1005.5	4.1	840.1
—	—	—	—	—	—	—	—	30.0
—	—	1.3	—	1.3	—	61.6	0.3	59.1
—	—	8.6	—	8.6	4.8	95.6	0.4	90.4

अनुबन्ध

भा० औ० वि० द्वारा मंजूर और वितरित की गई

उद्योग	1968-69					
	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण
	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित	पुनर्भाजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
(ग) मृत्तिका भाण्ड, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स) .	—	—	30.5	—	30.5	34.2
(घ) सीमेंट . . .	190.0	—	—	—	190.0	217.0
(ङ) चक्की के पाट और अपघर्षी .	—	—	—	—	—	—
(च) एस्बेस्टस . . .	—	—	3.5	—	3.5	2.0
(छ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें .	—	—	4.1	—	4.1	1.4
16. मूल धातुओं के उद्योग						
(क) लोहे और इस्पात के मूलोद्योग .	69.7	—	76.0	—	145.7	211.0
(ख) अलोह धातुओं के मूलोद्योग .	75.0	150.0	1.0	—	226.0	245.2
17. मशीनों और परिवहन उपकरण को छोड़कर धातु की बनी हुई चीजों का निर्माण	—	—	40.2	—	40.2	39.6
18. बिजली की मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण . . .	316.8 (1.1)	14.5	172.5	1549.4	2053.2 (1.1)	1796.5 (1.1)
19. बिजली की मशीनों, उपकरणों, साधित्रों और पूर्ति-सामग्री का निर्माण . .	37.0	6.7	84.7	—	128.4	67.4
20. परिवहन उपकरणों का निर्माण	—	—	38.4	—	38.4	29.7
21. विविध निर्माण से संबंधित उद्योग						
(क) वैज्ञानिक माप और नियंत्रण के के वृत्तिक औजारों का निर्माण .	—	—	12.1	—	12.1	11.1
(ख) घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण . . .	—	—	—	—	—	—
(ग) प्लास्टिक की ढलवां चीजें .	—	—	1.4	—	1.4	5.9
(घ) शल्य चिकित्सा की पट्टियां आदि .	—	—	—	—	—	—
(ङ) सिगरेट के फिल्टर . .	—	—	—	—	—	—
(च) लेखन सामग्री की चीजें . .	—	—	2.1	—	2.1	—

II

वित्तीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण (जारी)

(रुपये, लाखों में)

1967-68						भा०औ०वि० बैंक की स्थापना से जून 1969 के अन्त तक		
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण			
ऋण	हामीदारी	पुनर्वित	पुनर्भाजन	जोड़		मंजूर की गई कुल सहायता	प्रत्येक उद्योग के लिए मंजूर की गई सहायता की राशि का सहायता की कुल राशि से प्रतिशत	कुल वितरण*
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	16.0	—	16.0	—	65.2	0.3	52.9
241.0	5.0	—	—	246.0	413.8 (248.5)	1341.0 (248.5)	5.5	1057.9 (248.5)
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	3.2	27.5	0.1	25.0
—	—	—	—	—	—	4.1	..	1.4
220.0	32.6	79.2	—	331.8	241.9	2066.1	8.5	1083.7
175.0	—	40.0	—	215.0	80.5	543.8	2.2	430.5
—	—	67.2	—	67.2	53.4	267.7	1.1	205.9
—	—	145.6	1243.2	1388.8	1247.9	5250.2 (1.1)	21.7	4494.8 (1.1)
60.0	3.4	48.8	—	112.2	109.4	1031.6	4.3	946.7
—	—	20.8	—	20.8	26.1	253.2	1.0	293.4
—	—	—	—	—	—	12.1	0.1	14.1
—	—	—	—	—	—	11.0	0.1	9.0
—	—	6.1	—	6.1	—	7.5	..	6.9
—	—	—	—	—	—	7.2	..	7.2
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	—	2.1	..	—

अनुबन्ध

भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई

उद्योग	1968-69					
	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण
	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
(छ) पानी, भाप और बिजली के मीटर . . .	—	3.0	—	—	3.0	3.0
(ज) छत बनाने की सामग्री . .	—	—	—	—	—	1.9
(झ) वाद्य . . .	—	—	6.0	—	6.0	4.8
(ञ) ऊष्मीय और ध्वनिक विसंवाहकों का निर्माण . . .	—	—	24.3	—	24.3	—
(ट) फोटोग्राफी के और प्राकाशिक (आप्टिकल) उपकरण . .	—	—	1.8	—	1.8	0.9
(ठ) पैक करने की सामग्री . .	—	—	10.6	—	10.6	8.7
(ड) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें . . .	—	—	1.9	—	1.9	0.2
22. बिजली, गैस, पानी और सफाई सेवा, गैस निर्माण और वितरण (औद्योगिक गैस) .	—	—	5.6	—	5.6	1.7
23. सेवाएं						
(क) होटल उद्योग . .	—	6.0	62.5	—	68.5	54.2
(ख) मार्ग परिवहन . .	—	—	9.3	—	9.3	7.2
(ग) अन्य . . .	—	—	7.2	—	7.2	7.2
जोड़	**1600.0** (1.1)	**237.6**	**1512.1**	**1549.4**	**4899.6** (1.1)	**4177.3** (1.1)
II. मध्यावधिक निर्यात ऋण . .	—	—	747.7	—	747.7	249.3
III. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण . .	645.5 (60.1)+	—	—	—	654.5 (60.1)+	—
कुल जोड़ . .	**2255.0** (61.2)	**237.6**	**2259.7**	**1549.4**	**6301.8** (61.2)	**4426.6** (1.1)

नोट .—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ऋण और आस्थगित अदायगियों/अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात ऋण) के लिए मंजूर की गयी तथा निष्पादित की गयीं गारंटियों के हैं। इन आंकड़ों को जोड़ में शामिल नहीं किया गया है।

II

वित्तीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण (जारी)

(रुपये, लाखों में)

1967-68								
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता					वितरण	भा०औ०वि० बैंक की स्थापना से जून 1969 के अन्त तक		
ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़		मंजूर की गई कुल सहायता	प्रत्येक उद्योग के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि का सहायता की कुल राशि से प्रतिशत	कुल वितरण
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	—	—	—	—	14.5	0.1	14.3
—	—	5.1	—	5.1	2.6	5.1	..	4.5
—	—	—	—	—	—	6.0	..	4.8
—	—	—	—	—	1.6	25.9	0.1	1.6
—	—	—	—	—	—	1.8	..	0.9
—	—	10.4	—	10.4	6.4	21.0	0.1	15.1
—	—	—	—	—	—	1.9	..	0.2
—	—	2.4	—	2.4	—	9.0	0.1	14.4
—	—	25.7	—	25.7	12.8	134.3	0.6	104.6
—	—	—	—	—	—	9.3	0.1	7.2
—	—	4.8	—	4.8	4.8	20.0	0.1	20.0
1459.0	**118.0**	**983.8**	**1243.2**	**3804.0**	**4048.0** (543.5)	**24230.9** (2415.9)	**100.0**	**20401.4** (1904.1)
—	—	32.1	—	32.1	29.0	919.3		403.4
—	—	—	—	—	—	654.5 (60.1)+		—
1459.0	**118.0**	**1015.9**	**1243.2**	**3836.1**	**4077.0** (543.5)	**25804.7** (2476.1)		**20804.8** (1904.1)

*इन आँकड़ों में, भा०औ०वि० बैंक में उद्योग पुनर्वित्त निगम के मिलाये जाने से पहले उसके द्वारा मंजूर की गई पुनर्वित्त सहायता के सम्बन्ध में किये गए वितरण के आँकड़े शामिल हैं।

+ये अग्रिम अदायगी गारंटी (नियति ऋण) के आँकड़े हैं।

..ये आँकड़े नगण्य हैं।

अनुबन्ध III

1968-69 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक ऋण देनेवाली संस्थाओं की निधियों के स्रोत

(रुपये, करोड़ों में)

	भा०औ०वि० बैंक	भा०औ०वि० निगम	भा०औ०ऋ० और नि० निगम	राज्य वित्त निगम	जोड़	जोड़ (इन में संस्थाओं का परस्पर आदान-प्रदान शामिल नहीं है)
1	2	3	4	5	6	7
क. निधियों का स्रोत						
1. चुकता पूंजी में वृद्धि	—	—	—	0.33	0.33	0.33
2. आरक्षित निधियों में वृद्धि	2.31	1.50	0.90	0.81	5.52	5.52
3. भारत में निम्नलिखित से लिये गये (कुल) उधार :						
(i) सरकार	25.00	10.00	—	1.56	36.56	36.56
(ii) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया	0.29	—	—	5.51	5.80	5.80
(iii) भा०औ०वि० बैंक	—	—	2.50	6.01*	8.51	—
(iv) बैंक	—	—	—	1.77	1.77	1.77
(v) अन्य	—	—	—	0.55	0.55	0.55
4. बान्डों/डिबेंचरों के रूप में प्राप्त किये गये ऋण	—	8.33	—	7.63	15.96	15.67
5. विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण :						
(i) उपलब्ध ऋण की कुल मात्रा	—	(17.83)	(25.91)	—	(43.74)	
(ii) उपयोग की गई राशि	—	2.39	8.74	—	11.13	11.13
6. प्राप्त की गई जमा राशियां	—	—	—	2.65	2.65	2.65
7. निम्नलिखित ऋण-पत्रों की बिक्री में किये गये निवेश :						
(i) सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां	—	—	0.79	1.74	2.53	2.53
(ii) शेयर, डिबेंचर आदि (इन में हामीदर शामिल है)	—	1.26	0.74	—	2.00	2.00
8. ऋण लेनेवालों द्वारा ऋणों की अदायगी :						
(i) रुपया ऋण	26.46	7.49	2.98	8.26	45.19	42.72
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	—	1.41	7.43	—	8.84	8.84
9. गारंटियों के सम्बन्ध में वसूली	—	..	—	0.15	0.15	0.15
10. अन्य**	17.76	7.87	6.65	8.11	40.39	40.39
जोड़	**71.82**	**40.25**	**30.73**	**45.08**	**187.88**	**176.61**

*ये पुनर्वित्त सहायता के आंकड़े हैं।

**ये आंकड़े नगण्य हैं।

अनुबन्ध III (जारी)

1968-69 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक ऋण देनेवाली संस्थाओं की निधियों का उपयोग

(रुपये, करोड़ों में)

	भा०औ०वि० बैंक	भा०औ०वि० निगम	भा०औ०ऋ० और नि० निगम	राज्य वित्त निगम	जोड़	जोड़ (इन में संस्थाओं का परस्पर आदान-प्रदान शामिल नहीं है)
1	2	3	4	5	6	7
ख. निधियों का उपयोग						
1. निम्नलिखित रूप में सहायता का वितरण :						
(i) ऋण :						
(क) रुपया ऋण . .	33.39	14.58	2.67	17.44	68.08	62.07
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण .	—	2.39	8.74	—	11.13	11.13
(ii) औद्योगिक संस्थाओं के शेयर, डिबेंचर आदि में अभिदान .	0.82	1.76	4.80	0.55	7.93	7.93
(iii) वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बान्डों में अभिदान . .	2.79	—	—	—	2.79	—
(iv) गारंटियाँ . . .	—	0.74	—	0.49	1.23	1.23
2. सरकारी न्यास प्रतिभूतियों में निवेश .	—	—	—	0.59	0.59	0.59
3. ऋणों की अदायगी (भारत में):						
(i) सरकारी . . .	—	0.78	—	0.11	0.89	0.89
(ii) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया .	—	2.48	—	6.08	8.56	8.56
(iii) भा०औ०वि० बैंक . .	—	—	—	2.47	2.47	—
(iv) बैंक . . .	—	—	—	1.78	1.78	1.78
(v) अन्य . . .	—	—	—	—	—	—
4. बान्डों/डिबेंचरों का प्रतिदान . .	—	4.38	—	3.47	7.85	7.85
5. विदेशी मुद्रा में ऋणों की अदायगी .	—	2.06	8.84	—	10.90	10.90
6. जमा राशियों की अदायगी . .	—	—	—	4.42	4.42	4.42
7. अन्य** . . .	34.82	11.08	5.68	7.68	59.26	59.26
जोड़ .	**71.82**	**40.25**	**30.73**	**45.08**	**187.88**	**176.61**

**आँकड़ों में नगदी और दूसरे चल साधन शामिल हैं।

परिशिष्ट I

30 जून 1969 को पुनर्वित्त और पुनर्भांजन सुविधाएं पाने योग्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की सूची

बैंक

*1. अलगेमेने बैंक नीदरलैंड एन० व्ही० (जनरल बैंक ऑफ़ दि नीदरलैंडस्)
*2. अलाहाबाद बैंक लि० +
*3. अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
*4. आन्ध्र बैंक लि०
*5. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
*6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा लि० +
*7. बैंक ऑफ़ इण्डिया लि० +
8. बैंक ऑफ़ कराड लि०
9. बैंक ऑफ़ मदुरा लि०
*10. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र लि० +
11. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि०
*12. बैंक ऑफ़ टोकियो लि०
*13. बैंक नैशनल द पैरिस
14. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि०
15. बेलगांव बैंक लि०
16. बनारस स्टेट बैंक लि० — + +
*17. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
*18. कनारा बैंक लि० +
19. कनारा बैंकिंग कार्पोरेशन लि०
*20. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया लि० +
*21. चार्टर्ड बैंक
*22. देना बैंक लि० +
*23. ईस्टर्न बैंक लि०
*24. फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक
*25. हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
*26. इन्डियन बैंक लि० +
*27. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लि० +
28. कर्नाटक बैंक लि०
29. करूर वैश्य बैंक लि०
30. कृष्णाराम बलदेव बैंक प्रा० लि०
31. कुम्भकोणम सिटी युनियन बैंक लि०
32. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०
33. लक्ष्मी विलास बैंक लि०
*34. मर्कन्टाइल बैंक लि०
35. मिरज स्टेट बैंक लि०
*36. मित्सुई बैंक लि०
*37. नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि०
*38. नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान
39. न्यू बैंक ऑफ़ इण्डिया लि०
*40. पंजाब नेशनल बैंक लि० +
41. सांगली बैंक लि०
42. साउथ इण्डियन बैंक लि० (तिम्मेवेल्ली)
43. साउथ इण्डियन बैंक लि०
*44. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर
*45. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
*46. स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया
*47. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
*48. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
*49. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
*50. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
*51. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर
*52. सिंडीकेट बैंक लि० +
53. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि० (तूतूकुडी)
54. तंजाऊर पर्मेनेंट बैंक लि०
*55. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लि० +
*56. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लि० +
*57. युनाइटेड कमर्शियल बैंक लि०
58. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०
59. विजय बैंक लि०
60. वैश्य बैंक लि०

राज्य सहकारी बैंक

1. आन्ध्र राज्य सहकारी बैंक लि०
2. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लि०
3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि०
4. मद्रास राज्य सहकारी बैंक लि०
5. महाराष्ट्रा राज्य सहकारी बैंक लि०
6. मैसूर राज्य सहकारी शीर्षस्थ बैंक लि०
7. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लि०
8. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०
9. पश्चिम बंगाल प्रान्तीय सहकारी बैंक लि०

*ये बैंक मध्यावधि निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं।

+ये बैंक तारीख 19 जुलाई 1969 से राष्ट्रीयकृत किये गये।

++ये बैंक पुनर्भांजन सुविधाएँ पाने के योग्य हैं।

राज्य वित्तीय निगम

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम
2. असम वित्त निगम
3. बिहार राज्य वित्त निगम
4. दिल्ली वित्त निगम
5. गुजरात राज्य वित्त निगम
6. हरियाणा वित्त निगम
7. हिमाचल प्रदेश वित्त निगम
8. जम्मू और काश्मीर राज्य वित्त निगम
9. केरल वित्त निगम
10. मध्यप्रदेश वित्त निगम
11. महाराष्ट्र वित्त निगम
12. मसूर राज्य वित्त निगम
13. उड़ीसा राज्य वित्त निगम
14. पंजाब वित्त निगम
15. राजस्थान वित्त निगम
16. उत्तर प्रदेश वित्त निगम
17. पश्चिम बंगाल वित्त निगम
18. मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लि०

अन्य संस्थाएं

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०

परिशिष्ट II

30 जून 1969 को पुनर्वित्त सुविधाएं पाने योग्य निर्यात मदों की सूची

क. पूंजीगत माल

1. (खांड़सारी मशीनों सहित) चीनी मिलों की मशीनें
2. सूती मिलों की मशीनें
3. जूट मिलों की मशीनें
4. तेल मिलों की मशीनें
5. जूते बनाने की मशीनें
6. चाय मशीनें
7. आटा, चावल, दाल की चक्की की मशीनें
8. छपाई की मशीनें
9. कागज बनाने की मशीनें
10. लकड़ी का काम करने की मशीनें
11. उर्वरक संयंत्र और उपकरण
12. पानी साफ करने के संयंत्र

ख. उत्पादक माल

1. बिजली मोटरें
2. ट्रान्सफार्मर (पावर और वितरण)
3. जेनरेटर
4. स्विच गियर
5. औद्योगिक स्विच बोर्ड और नियंत्रण पेनल
6. सर्किट ब्रेकर
7. एयर ब्रेक स्विचें
8. टेलीफोन
9. टेलीफोन स्विच बोर्ड और टेलीग्राफ
10. गैस संयंत्र
11. बोरहोल टर्बाइन पम्प
12. डीज़ल इंजिनें
13. बस, बस बॉडी किट, मोटरगाड़ियां और चेसीस
14. पारेषण लाइन टावर
15. सब-स्टेशन संरचना और रेल विद्युतीकरण संरचना
16. संरचना सम्बन्धी गढ़ाई जैसे पुल, कारखानों के छप्पर और मकान
17. लेथ
18. इस्पात के बिलेट
19. इस्पात की पटरियां
20. अपकेन्द्री पम्प
21. वाहनों के ट्रेलरों और स्वचालित वाहनों के हिस्से
22. हाथ के और मशीनी औजार
23. कृषि उपकरण
24. गैस के सिलिंडर
25. रेल की पटरियों का साज सामान
26. इस्पात की टंकियां
27. वजन करने के तराजू
28. तेल निष्कासक
29. रेल सिग्नल उपकरण
30. ट्यूब के आकार के खंभे और उपसाधन
31. उलटनेवाले वैगन और रेल वैगन
32. कोलतार बायलर

ग. उपभोक्ता माल

1. सिलाई मशीनें और उनके हिस्से
2. साइकिलें—उनके हिस्से और उपसाधन
3. बिजली के प्रशीतक, वातानुकूलक और जल-शीतक
4. बिजली के पंखे
5. ए० सी० एस० आर० संवाहक और ताँबे के संवाहक
6. क्ष-किरण, बिजली-चिकित्सा उपकरण और अस्पताल उपकरण

घ. अन्य ऐसामाल जिनके सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन विनियमावली, 1952 के विनियम 6 के अधीन 6 महीनों से अधिक की आरंभिक अवधि के लिए छूट दी गयी है।

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1969

पिछला वर्ष	देयताएँ		इस वर्ष
रुपये		रुपये	रुपये
	1. पूंजी		
50,00,00,000	अधिकृत		50,00,00,000
20,00,00,000	जारी की गई और प्रदत्त		20,00,00,000
	2 आरक्षित राशियाँ और आरक्षित निधि		
6,07,80,000	(i) आरक्षित निधि	8,91,30,000	
	(ii) अन्य आरक्षित राशियाँ		
—	(क) निवेश के लिए आरक्षित राशि	1,905	
			8,91,31,905
	3. उपहार, अनुदान, चंदा और दान		
—	(i) सरकार से		—
—	(ii) अन्य स्रोतों से		—
—	4. बान्ड और डिबेंचर		—
—	5. जमा राशियाँ		—
	6. ऋण		
	(i) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया से		
	(क) स्टॉक, निधियाँ और अन्य न्यास प्रतिभूतियों की		
—	जमानत पर	—	
	(ख) विनिमय पत्रों या वचन पत्रों की जमानत पर	—	
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ)		
6,08,92,344	निधि में से	6,26,71,044	
	(ii) भारत सरकार से		
10,00,00,000	(क) ब्याज-मुक्त ऋण	10,00,00,000	
1,15,15,00,000	(ख) अन्य ऋण	1,40,15,00,000	
—	(iii) अन्य स्रोतों से	—	
—	(iv) विदेशी मुद्रा में	—	
			1,56,41,71,044
2,88,18,178	7. वर्तमान देयताएँ और व्यवस्थाएँ		3,92,38,524
1,60,19,90,522	आगे ले जाया गया		1,89,25,41,473

विकास बैंक

का तुलना पत्र **सामान्य निधि**

पिछा वर्ष	आस्तियाँ	इस वर्ष	
रुपये		रुपये	रुपये
	1. नकदी और बैंक के पास शेष		
	(i) हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक		
28,495	आफ़ इण्डिया के पास शेष	13,842	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष		
—	(क) चालू खाते में	—	
—	(ख) जमा खाते में	—	
			13,842
	2. निवेश @		
15,48,73,419	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में	13,95,94,453	
19,35,00,344	(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टॉकों, शेयरों, बान्डों और डिबेंचरों में	23,82,79,044	
9,18,56,868	(iii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टॉकों शेयरों, बान्डों और डिबेंचरों में	10,25,05,110	
			48,03,78,607
	3. ऋण और अग्रिम		
64,60,30,479	(i) अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को	63,99,94,315	
32,40,49,000	(ii) औद्योगिक संस्थाओं को	46,35,08,000	
			1,10,35,02,315
16,74,75,937	4. बट्टा काटे गये और पुनर्भाजन किये गये विनिमय पत्र और वचनपत्र		26,76,50,387
1,57,78,14,542	आगे ले जाया गया		1,85,15,45,151

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1969

पिछला वर्ष	देयताएं		इस वर्ष
रुपये		रुपये	रुपये
1,60,19,90,522	आगे लाया गया		1,89,25,41,473
	8. लाभ और हानि लेखा		
3,06,38,873	संलग्न लाभ-हानि लेखे से अन्तरित किया गया शेष लाभ	3,58,54,325	
2,31,38,296	घटाइये :—आरक्षिक निधि को अन्तरित	2,83,50,000	
75,00,577	घटाइये :—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 (2) के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अन्तरित किया जानेवाला शेष	75,04,325	—
	आकस्मिक देयताएं		
4,45,060	(i) बैंक पर किये गये दावे जिनको ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	4,45,060	
47,22,69,676	(ii) जारी की गई गारंटियों बाबत**	45,77,91,646	
4,74,00,000	(iii) हामीदारी की वचनबद्धता बाबत	1,93,50,000	
11,12,205	(iv) आंशिक प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांग न की गई राशियों बाबत	78,96,958	
—	(v) जिन राशियों के आकस्मिक दावे के लिए बैंक उत्तर दायी है, उनके बाबत	—	
		48,54,83,664	
1,60,19,90,522			1,89,25,41,473

	बही मूल्य	बाजार मूल्य
	रु०	रु०
@ (क) निवेश जिनका भाव लगाया गया ।	20,64,28,916	23,56,08,808
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया ।	27,39,49,691	—
	48,03,78,607	23,56,08,808

*हामीदारी दायित्वों को निभाने के कारण अर्जित (इन में क्रियाधिकार शेयरों के अर्जन की 5,28,210 रुपयों की राशि शामिल है) ।

**इन में सहभागी संस्थाओं वित्तीय द्वारा सहमत देयता की 28,49,97,508 रुपये की राशि शामिल है। (पिछले वर्ष यह राशि 28,71,55,994 रुपये थी) ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

विकास बैंक
का तुलना पत्र

सामान्य निधि

पिछला वर्ष	आस्तियां		इस वर्ष
रुपये		रुपये	रुपये
1,57,78,14,542	आगे लाया गया		1,85,15,45,151
—	5. परिसर (लागत में से मूल्य ह्रास घटाकर)		—
2,44,174	6. अन्य अचल आस्तियाँ (लागत में से मूल्य ह्रास घटाकर)		2,20,606
2,39,31,806	7. अन्य आस्तियाँ		4,07,75,716
	8. लाभ-हानि लेखा		
—	पिछले तुलनपत्र का शेषांश	—	—
—	संलग्न लेखे में से अन्तरित किया गया/ की गई लाभ/हानि	—	—
1,60,19,90,522			1,89,25,41,473

बोर्ड के आदेशानुसार

पी० के० दासगुप्ता
प्रमुख प्रबन्धक
बम्बई, 18 अगस्त 1969

एल० के० झा, अध्यक्ष
ए० बक्सी, उपाध्यक्ष
जे० रामदेव राव, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1969 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष	व्यय	इस वर्ष
रुपये		रुपये
5,23,71,127	1. जमा राशियों, ऋणों आदि पर अदा किया गया ब्याज	6,41,75,090
26,13,128	2. स्थापना-खर्च	30,92,490
26,519	3. निदेशकों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की फीस और खर्च	36,657
6,000	4. लेखा परीक्षकों की फीस	9,000
2,88,802	5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश आदि	3,00,958
3,73,790	6. विधि-प्रभार	3,52,119
8,561	7. डाक, तार और मुद्रांक	12,881
39,526	8. लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	40,162
40,486	9. मूल्य ह्रास	35,591
—	10. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	—
1,06,188	11. अन्य खर्च	1,14,323
3,06,38,873	12. शेष लाभ जिसे तुलनपत्र में ले जाया गया है।	3,58,54,325
8,65,13,000		10,40,23,596

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

विकास बैंक

वर्ष का लाभ और हानि लेखा — सामान्य निधि

पिछले वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और नितांत व्यवस्थाओं के लिए की गयी व्यवस्था को घटाने के बाद)	इस वर्ष
रुपये		रुपये
7,03,52,416	1. ब्याज और भांजन	7,94,58,890
1,24,67,590	2. निवेशों से प्राप्त आय	2,07,52,923
31,61,407	3. कमीशन, दलाली आदि	32,23,982
—	4. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है।)	—
5,31,587	5. अन्य आय @	5,87,801
—	6. शेष हानि जिसे तुलनपत्र में ले जाया गया है।	—
8,65,13,000		10,40,23,596.

@इस में विकास सहायता निधि के प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) और उपयोग से सम्बन्धित खर्च के लिए निधि से प्राप्त 5,00,000 रुपये शामिल हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

एल० के० झा, अध्यक्ष
ए. बक्सी, उपाध्यक्ष
जे० रामदवे राव, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

पी० के० दासगुप्ता
प्रमुख प्रबंधक
बम्बई, 18 अगस्त 1969

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1969 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संलग्न तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है और हम नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

(1) हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो जानकारी मांगी है और जो स्पष्टीकरण मांगे हैं वह/वे सब हमें दी गई हैं/दिये गये हैं और वह/वे सन्तोषजनक है/हैं;

(2) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है, उसके अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है जिसमें ऐसी सभी आवश्यक जानकारी शामिल है जिससे 30 जून 1969 को बैंक के कार्यक्रम की सच्ची और वास्तविक स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलनपत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की आवश्यकताओं के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

भारतीय औद्योगिक

30 जून 69

पिछला वर्ष	देयताएँ		इस वर्ष
रुपये		रुपये	रुपये
	1. ऋण		
27,35,00,000	(i) सरकार से	27,35,00,000	
—	(ii) अन्य स्रोतों से	—	
			27,35,00,000
	2. उपहार, अनुदान, चंदा और दान		
—	(i) सरकार से	—	
—	(ii) अन्य स्रोतों से	—	
5,00,000	3. अन्य देयताएँ और व्यवस्थाएँ		5,00,000
40,05,764	4. लाभ और हानि लेखा : (पिछले तुलनपत्र से शेषांश)	88,10,105	
48,04,341	अनुबन्धित लेखे में से अन्तरित किया गया लाभ	50,27,406	
			1,38,37,511
	आकस्मिक देयताएँ		
—	(i) बैंक पर किये गये दावे जिनको ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	—	
—	(ii) जारी की गई गारंटियों बाबत	—	
—	(iii) हामीदारी की वचनबद्धता बाबत	—	
—	(iv) आंशिक प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांग न की राशियों बाबत	—	
—	(v) जिन राशियों के आकस्मिक दावे के लिए बैंक उत्तरदायी है, उनके बाबत	—	
		—	
28,28,10,105			28,78,37,511

संलग्न की गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

वकास बैंक
का तुलनपत्र

विकास सहायता निधि

पिछला वर्ष	आस्तियाँ	इस वर्ष	
रुपये		रुपये	रुपये
	1. नकदी और बैंक के पास शेष		
7,235	(i) हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक आॅफ इण्डिया के पास शेष	1,029	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष		
—	(क) चालू खाते में	—	
—	(ख) जमा खाते में	—	
			1,029
	2. निवेश@ —		
12,60,902	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में	61,84,856	
2,48,98,200	(ii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टॉकों, शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में *	2,48,98,200	
			3,10,83,056
25,00,00,000	3. ऋण और अग्रिम		25,00,00,000
66,43,768	4. अन्य आस्तियां		67,53,426
	5. लाभ और हानि लेखा		
—	पिछले तुलनपत्र का शेषांश		—
—	संलग्न लेखे में से अन्तरित लाभ/हानि		—
28,28,10,105			28,78,37,511

	बही मूल्य रुपये	बाजार मूल्य रुपये
@(क) निवेश जिनका भाव लगाया गया।	2,50,47,031	6,32,79,155
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया।	60,36,025	--
	3,10,83,056	6,32,79,155

*हामीदारी दायित्वों को निभाने के कारण अर्जित ।

बोर्ड के आदेशानुसार

एल० के० झा०, अध्यक्ष
ए० बक्षी, उपाध्यक्ष
जे० रामदवे राव, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

पी० के० दासगुप्ता,
जनरल मैनेजर
बम्बई, 18 अगस्त 1969

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष

पिछले वर्ष	व्यय	इस वर्ष
रुपये		रुपये
1,49,68,166	1. उधारों पर अदा किया गया ब्याज	1,50,42,000
5,00,000	2. स्थापना खर्च @	5,00,000
—	3. लेखा परीक्षकों की फीस	—
—	4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश आदि	—
—	5. विधि प्रभार	—
—	6. डाक, तार और मुद्रांक	—
—	7. लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	—
—	8. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	—
—	9. अन्य खर्च	—
48,04,341	10. शेष लाभ जिसे तुलन पत्र में ले जाया गया है	50,27,406
2,02,72,507		2,05,69,406

@इस निधि के प्रशासन और उपयोग किये जाने से सम्बन्धित खर्च के लिए सामान्य निधि को की गई प्रतिपूर्ति ।

संलग्न की गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०

सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

विकास बैंक

के लिए लाभ और हानि लेखा **विकास सहायता निधि**

आय

पिछले वर्ष	(अशोध्य और सदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और व्यवस्थाओं के लिए की गयी व्यवस्था को घटाने के बाद)	इस वर्ष
रुपये		रुपये
1,99,34,963	1 ब्याज	2,00,00,000
3,29,154	2. निवेशों से प्राप्त आय	5,69,406
8,390	3 कमीशन, दलाली आदि	—
—	4. निवेशो की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नही डाला गया है।)	—
—	5. अन्य आय	—
—	6. शेष हानि जो तुलन पत्र में ले जायी गयी है	—
2,02,72,507		2,05,69,406

बोर्ड के आदेशानुसार

एल० के० झा, अध्यक्ष
ए० बक्सी, उपाध्यक्ष
जे० रामदवे राव, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

पी० के० दासगुप्ता
प्रमुख प्रबन्धक
बम्बई, 18 अगस्त 1969

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1969 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विकास सहायता निधि के संलग्न किये गये तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए निधि के लाभ और हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की है और हम नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है :—

(1) हमने लेखा परीक्षण के लिए जो जानकारी मांगी है और जो स्पष्टीकरण मांगे है, वह/वे सब हमें दी गई है/दिये गये है और वह/वे सन्तोषजनक है/हैं;

(2) हमारी राय मे और जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है जिसमें ऐसी सभी आवश्यक जानकारी शामिल है जिससे 30 जून 1969 को निधियों के कार्यकलाप की सच्ची और वास्तविक स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलनपत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की आवश्यकताओं के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

बम्बई, 18 अगस्त 1969

STATE BANK OF INDIA

Central Office

NOTICE

Bombay, the 24th February 1970

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri A. B. Majumdar has assumed charge as officiating Secretary & Treasurer, Ahmedabad Circle, as at the close of business on the 19th February 1970.

T. R. VARADACHARY,
Managing Director.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 24th February 1970

No. 8-*CA*(1)/21/69-70.—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to Shri Prafulla Kumar Mahapatra, F.C.A., Deputy Chief Accountant, Paradip Port Trust P.O. Paradip Port, Distt. Cuttack, (Membership No. 4847) shall stand cancelled for the period from 15th January 1970 to 30th June 1970, as he does not desire to hold the Certificate of practice.

No. 4-*CA*(1)/24/69/70—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Regiser of Members of this Institute, on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Removal
1.	1938	Shri Bishen Sahai Vidyarthi, Naya Bazar, GWALIOR-1.	12-2-1970
2.	5425	Shri K.I. Eapen, Christian Institute Building, Mullackal, ALLEPPEY, (Kerala State).	10-1-1970

C. BALAKRISHNAN
Secretary

PANJAB UNIVERSITY (CHANDIGARH)

Chandigarh-14, *the 28th February* 1970

No. S.T. 2047.—In consequence of Law Ministry Notification No. F. 7(9)/69-Leg. II, dated 7-1-1970, regarding abolition of Panjab Legislative Council w.e.f. 7-1-1970, Master Gurcharan Singh (address : V. & P.O. Kishanpura Kalan, Teh. Moga, District Ferozepur), who was elected as an Ordinary Fellow of the Panjab University, by the Panjab Legislative Council, has ceased to hold office of Ordinary Fellow, under Section 13(5) of the Panjab University Act.

JAGJIT SINGH
Registrar.

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 21st January 1970

The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India at its XXVth meeting held on 25th October, 1969 at Shillong are published as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, namely :—

F. No. 37-10/68-*PCI*/94 :

"In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the 'Certificate of Efficiency as a Pharmacist' issued by the Ceylon Medical College Council, Ceylon to be an approved qualification as a pharmacist under the said Act in respect of the persons of Indian origin only for a period ending December, 1980.

F. No. 37-2/66-*PCI*/95 :

"In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the 'Qualification as a Pharmacist' granted by the Maximillian University, Wurzburg and certified by the Bayerish State, Ministry of Interior, Munich to be an approved qualification for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act for a period ending, December, 1974."

F. No. 37-13/69-*PCI*/96 :

"In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the 'Qualifying examinations for a Pharmaceutical Chemist' conducted by the Pharmacy Board of New Zealand, Wellington at the New Zealand College of Pharmacy, Wellington to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act for the period ending December, 1974."

DEVINDER K. JAIN
Acting Secretary

DEPARTMENT OF POSTS AND TELEGRAPHS

Office of the Director General Posts and Telegraphs

NOTICES

New Delhi, the 24th February 1970

No. 25/12/70-*LI.*—Postal Life Insurance EA/55 policy No. 60567-C, dated 15-11-54 for Rs. 1,000 held by Sh. Saryoo Chaudhary having been lost from his custody notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, PLI, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

The 3rd March 1970

No. 25/16/70-*LI.*—Postal Life Insurance EA/55 policy No. 97556-C, dated 3-3-64 for Rs. 3,000 held by Shri Lalji Pathak having been lost from his custody notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, PLI, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/15/70-*LI.*—Postal Life Insurance EA/55 policy No. 39432-C, dated 8-11-50 for Rs. 5,000 held by Sh. Prabhakar Govind Datar, having been lost from his custody notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, P.L.I., Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/14/70-*LI.*—Postal Life Insurance EA/45 policy No. A-1148, dated 5-6-54 for Rs. 20,000 held by Shri Sudnagunta Venkateswara-vara Prasad having been lost from the departmental custody notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Deputy Director/Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

The 4th March 1970

No. 25/17/70-*LI.*—Postal Life Insurance EA/55 policy No. 94886-P, dated 27-4-63 for Rs. 3,000 held by Sh Arjan Das Manocha, having been lost from his custody notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Deputy Director, P.L.I., Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

R. KISHORE
Director (PLI)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th February 1970

No 12(1)22/66-*Med.II*—In pursuance of the resolution passed by the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon me the powers of the Corporation under the Regulation 105 of E.S.I. (General) Regulation, 1950, I hereby authorise the following Medical Officers to function as Medical authorities for the periods as indicated against each with respective jurisdiction as shown below against them for purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name & Designation of the Officer empowered as Medical Authority	Area	Period
1	2	3
1. Dr. C.N. Pradhan, Assistant Surgeon Incharge, Municipal Hospital, Hinganghat.	Hinganghat	7-4-67 to 29-4-67
2. Dr. D.V. Bapat, Civil Surgeon, Akola.	Akola	8-4-67 to 28-4-67

No. 6(8)/69-*Estt. III*—In pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, and in supersession of notification of the Employees' State Insurance Corporation No. 3(2)-3/64-Estt.III dated the 20th May, 1967, the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, hereby reconstitutes the Regional Board, Gujarat Region, which shall consist of the following members namely :—

1. Shri Shantilal R. Shah, Minister for Labour, State of Gujarat, *Ahmedabad.*	Chairman, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
2. Smt. Urmilaben P. Bhatt, Dy. Minister for Health, State of Gujarat, *Ahmedabad.*	Vice-Chairman, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
3. Shri K.N. Zutshi, Secretary to the Government of Gujarat, Panchayat and Health Deptt., *Ahmedabad.*	Representative nominated by the State Government.
4. Director of Medical Services, E.S.I. Scheme, State of Gujarat, *Ahmedabad-21.*	Officer directly incharge of the E.S.I. Scheme in State of Gujarat-Ex-officio.
5. Shri Rajnikant R. Nagri, Nagri Mills Co. Ltd., Gomtipur Road, P.B. 36, *Ahmedabad-21.*	Representative of employers nominated by the Chairman of E.S.I. Corporation.
6. Shri Dahyabhai K. Patel, Majoor Mahajan Mandal, Mazdoor Bhuvan, Vinoba Bhave Marg, Salatwada, *Baroda.*	Representative of employees nominated by the Chairman of E.S.I. Corporation.
7. Shri V.R. Mehta, Secretary to the Government of Gujarat, Education & Labour Department, *Ahmedabad.*	Member of the E.S.I. Corporation nominated by the Central Government residing in the area-Ex-officio.
8. Shri Madanmohan Mangaldas, Mangal Bag, Ellis Bridge, *Ahmedabad.*	Do.
9. Shri M.T. Shukla, C/o. Textile Labour Association, Gandhi Majoor Sevalaya, Bhadra, *Ahmedabad.*	Member of the E.S.I. Corporation nominated by the Central Government residing in the area-Ex-officio.
10. The Regional Director, Regional Office, Gujarat, E.S.I. Corporation, *Ahmedabad.*	Member-Secretary.

The 27th February 1970

No. 3(2)-2/67-*Estt.III.*—In pursuance of section 25 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948), read with regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, the Chairman E.S.I. Corporation hereby notifies as required under clause (ii) of sub-regulation (6) of regulation 10 of the said regulations, that Shri K. Vathianathan, a member of the Regional Board for Union Territory of Pondicherry, shall cease to be a member of the said Regional Board with effect from the date of issue of this notification and in his place nominates under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 10, Shri P.S. Natesan, to be a member of the Regional Board for Union Territory of Pondicherry, and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the E.S.I. Corporation No. 3(2)-2/67-Estt. III, dated the 15-6-1968, namely :—

In the said notification, for the entry against item No. 5, the following entry shall be *substituted* namely :—

"Shri P. S. Natesan,
Pondicherry Textile Mills,
Labour Union,
7, Vellala Street Pondicherry."

T. C. PURI
Director General.

Madras-34, the 25th February 1970

No. TNR/BF. I-3(12)/70.—It is hereby notified that the Local Committee set up *vide* this office notification No. MR/CO-3(17)/69, dated 1-9-1969 for Udumalpet area under Regulation 10 A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with the following members with effect from 25-2-1970.

Chairman :

Under Regulation 10*A*(1)(*a*) :

1. The District Medical Officer,
   Coimbatore.

Members :

Under Regulation 10*A*(1)(*b*) :

2. The Labour Officer,
   Pollachi.

Under Regulation 10*A*(1)(*c*) :

3. The Medical Officer Incharge,
   Employees' State Insurance Dispensary,
   Udumalpet.

Under Regulation 10*A*(1)(*d*) :

4. Shri D. Chandrasekaran,
   Manager,
   Premier Mills Coimbatore Limited,
   Pulankinar.
5. Shri R. Venkatapathy,
   Welfare Officer,
   Sri Venkatesa Mills,
   Udumalpet.
6. Shri C. Chinnasamy Naidu,
   Manager,
   Palani Andavar Mills,
   Udumalpet.

Under Regulation 10*A*(1)(*e*) :

7. Shri A. S. Mani,
   Coimbatore District Dravida Panchalai Thozhilalar Munnetra Sangam,
   Udumalpet.
8. Shri M. Ramachandran,
   Coimbatore District Dravida Panchalai Thozhilalar Munnetra Sangam,
   Udumalpet.

Under Regulation 10*A*(1)(*f*) :

9. The Manager,
   Local Office.
   Employees' State Insurance Corporation,
   Udumalpet.

Secretary.

By Order
V. SIVARAMAN

Regional Director and Ex-Officio Secretary to the Regional Board, Tamil Nadu.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970